आदर्श उपविधियां

ग्रामोद्योगिक सहकारी समिति

(निबन्धक, ग्रामोद्योगिक सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश)

द्वारा

अनुमोदित

प्रकाशकः

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

8, तिलक मार्ग, लखनऊ–226001

विषय–सूची

विषय		उपविधि संख्या
1–नाम और मुख्यालय		1
2–परिभाषाएं		1
3–कार्यक्षेत्र		
4–उद्देश्य	(अ) मुख्य उद्देश्य	3
	(ब) गौण उद्देश्य	4 (अ)
5–सदस्यता	(अ) सदस्यों के वर्ग	5 (ब)
	(ब) सदस्यों की अर्हतायें	
	(स) सदस्य बनाने की प्रक्रिया तथा सदस्यता की	6–12
	अनुमति पाने की शर्तें	13– 16
	(द) सदस्य का हटाया या निकाला जाना अथवा	
	सदस्यता समाप्त होना	17–21
	(इ) सदस्यों के अधिकार तथा दायित्व	22–31
6–दायित्व		32
7–पूंजी		33
8–अंश उनका मूल्य दिया जाना (एलाटमेन्ट) और भुगतान		34–41
अंश की जप्ती		42–46
अंश के लिए ऋण		47
अन्य		48–53
9– सदस्य को उत्तराधिकारी नामाँकित करने का अधिकार		54–56
10– उधार लेना		57–60
11–(अ) संगठन और प्रबन्ध		61
(1) सामान्य निकाय		62
(2) सामान्य बैठक		63
(क) वार्षिक सामान्य बैठक		64–66
(ख) साधारण सामान्य बैठक		67
(ग) असाधारण सामान्य बैठक		68–69
(घ) विशेष सामान्य बैठक		70
(3)बैठक का स्थान		71
(4)बैठक की सूचना		72–73
(5)बैठक के लिये गणपूर्ति		74–75
(6)बैठक का सभापतित्व		76
(7)बैठक में विषयों का निस्तारण		77–82

(8)बैठकों के बुलाने का अधिकार 83
(ब) संचालक मण्डल 84–85
(1)संचालक चुने जाने अथवा बने रहने की अनर्हता 86–92
(2)संचालक मण्डल का कार्यकाल 93–94
(3)नाम–निर्दिष्ट संचालक का कार्यकाल 95
(4)नाम–निर्दिष्ट संचालक का कार्यकाल 96
(5)संचालकां में आकस्मिक रिक्त स्थानों की पूर्ति 97–100
(6)संचालक मण्डल की बैठक 101
(7)संचालक मण्डल की बैठक की गणपूर्ति 102
(8)संचालक मण्डल के स्पष्ट अधिकार 103
(9)संचालक मण्डल के कार्य की वैधता 104
(10)बैठकों का स्थान 105
(स) सभापति/उपसभापति 106–107
(द) सचिव 108–110
12– बैठक की कार्यवाहियों की कार्यवृत्तियाँ 111
13– भत्ते तथा अन्य सुविधायें 112
14–ऋणों पर निर्बधन 113–114
15–अंशदायी भविष्य निधि 115
16–समिति की सम्पत्ति और निधियाँ 116–123
17–निधियों का विनियोजन 124
18–लेखा पुस्तिका रजिस्टर, विवरण–पत्र इत्यादि 125–127
19–लेखा परीक्षा 128
20–रक्षित निधि 129
21–विवादों का निपटारा 130
22–उपविधियों में संशोधन 131–133
23–निर्वाचन सम्बन्धी नियम
भाग 1– निबन्धन के पश्चात् बैठक और निर्वाचन 134–138
भाग 2–निर्वाचन सामान्य नियम 139–154
24–अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा सभापति और उपसभापति को हटाया जाना 155
25–उपनियमों का अर्थ 156
26–विविध 157–163
27–निबन्धन की तिथि तथा संस्था 45 पृष्ठ पर
28–उपविधियों में संशोधन का अभिदेश 46 पृष्ठ पर

नियमावली

.....

औद्योगिक उत्पादन सहकारी समिति लिमिटेड, ...

डाकखाना ..... ब्लाक ..... जिला ....

उपविधियां

नाम और मुख्यालय

1– इस समिति का नाम ..... औद्योगिक उत्पादन सहकारी समिति लि0 ..... होगी, जिसका रजिस्ट्री किया पता तथा मुख्यालय .... डाकखाना ..... ब्लाक ..... थाना .....तहसील ..... जिला ..... होगा।

परिभाषायें

2– इन उपविधियों में जब तक विषय या प्रसंगत में कोई बात विपरीत न हो तब तक –

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 1966) से है

(ख) ''समिति'' से तात्पर्य ..... औद्योगिक उत्पादन/सहकारी समिति लिमिटेड, ... डाकखाना ..... ब्लाक .... जिला ..... से है।

(ग) ''संचालक मण्डल'' का तात्पर्य समिति के संचालक मण्डल से है जिसे अधिनियम की धारा 29 के अधीनस्थ समिति के प्रबन्ध का कार्य सौंपा गया है।

(घ) ''बैंक'' से तात्पर्य उस जिला/केन्द्रीय सहकारी बैंक से है समिति जिसकी सदस्य है।

(ड़) ''सचिव'' का तात्पर्य समिति के सचिव से है जिसकी नियुक्ति अधिनियम की धारा 31 के अन्तर्गत हुई हो।

(च) ''अधिकतम दायित्व'' का तात्पर्य उस अधिकतम राशि से है जो समिति उधार ले सकती है। इसके अन्तर्गत अंश पूँजी सम्मिलित नहीं होगी।

(छ) ''स्वाधिकृति पूँजी'' (निजी पूँजी) का तात्पर्य समिति की संचित हानियों को यदि कोई हो निकाल देने के पश्चात् निम्नलिखित मदों के योग से है:–

(1) दत्त अंश पूँजी

(2) संचित रक्षित निधि,

(3) अधिनियम की धारा 58 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में उल्लिखित सहकारी शिक्षा निधि को छोड़कर समिति के लाभ से सृजित अन्य निधियाँ।

(4) सरकार द्वारा दिये गये अनुदानों से स्थापित निधियाँ तथा विशेष रिजर्वस।

(ज) ''निबन्धक'' से तात्पर्य ग्रामोद्योगिक सहकारी समितियों के निबन्धक से है, जैसा कि अधिनिम की धारा 2 (द) में परिभाषित है।

(झ) ''नियम'' से तात्पर्य अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों से है।

(त्र) ''उपविधि'' का तात्पर्य समिति की तत्समय प्रचलित निबन्धित (पंजीकृत) उपविधि से है।

(ट) ''वर्ष'' का तात्पर्य औद्योगिक सहकारी वर्ष से है जो एक अप्रैल से आरम्भ होकर आगामी 31 मार्च को समाप्त होगा।

(ठ) ''सदस्य'' का तात्पर्य समिति के सदस्य से है।

कार्य क्षेत्र

3– इस समिति में सदस्यता प्राप्त करने का क्षेत्र निम्नलिखित ग्रामों/स्थानों/मोहल्लों में समिति होगा।

1.

2.

3.

4– समिति के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे,

उद्देश्य

(अ) मुख्य उद्देश्यः–

(क) सकारी सिद्धातों के अनुसार सदस्यों के आर्थिक हितों की उन्नति के लिये निम्नलिखित उद्योग को चलाकर उसके सामने लिखित सामान उत्पादन करना और उसे बेचना।

अथवा

(क) अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सहकारी सिद्धान्तों के अनुसार अपने सदस्यों के आर्थिक हितों की उन्नति के यि निम्नलिखित उद्योग को चलाने हेतु तथा उसके सामने लिखित सामान का उत्पादन करने में सहायता देना और उनके द्वारा उत्पादित माल को बेचना।

उद्योग ..... सामान .....
.....
.....

(ख) सदस्यों को उपरोक्त उद्योग सम्बन्धी आवश्यकताओं जैसे कच्चा माल तथा सामान बनाने में प्रयोग में आने वाली वस्तओं को प्राप्त करना और उनको उत्पादन हेतु देना, और उनको वितरण करना अथवा अन्य साधनों द्वारा सदस्यों के लिये प्राप्त करने में सहायता देना।

(ग) अच्छे किस्म का सामान सदस्यों द्वारा बनवाना तथा माल के स्तर की निरन्तरता एवं एकरूपता पर बराबर ध्यान देते रहना।

(घ) तैयार माल की छटनी (ग्रेडिंग) करना तथा अपने माल की साख बाजार में स्थापित करने के लिये अन्य आवश्यक कार्य करना।

(ड़) सदस्यों के लिए यन्त्रालय (वर्कशाप) और उनकी पैदावार को सुरक्षित रखने के लिये निजी मकान, गोदाम, दुकान आदि प्राप्त करना, बनवाना या किराये पर लेना।

(च) सदस्यों के लिए मशीन, औजार, फालतू पुर्जे इत्यादि मोल, किराये अथवा हायर परचेज पर लेना और उनको प्रयोग के लिये देना।

(छ) अपने सदस्यों द्वारा बनाये गये माल का उचित मूल्य पर बिक्री का प्रबन्ध करना।

(ज) सदस्यों में मितव्ययता, अपनी मदद आप करना और एक दूसरे की मदद की भावना को प्रोत्साहन देना तथा उनके लिये आवश्यक योजनायें बनाना और उन्हें कार्यान्वित करना।

(झ) ऊपर लिखे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पूँजी का प्रबन्ध करना। बैंक, राज्य सरकार, खादी कमीशन, उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, अन्य संस्थाओं एवं व्यक्तियों से ऋण तथा अमानतें प्राप्त करना।

(ब) गौंण:–

(क) उन्नतिशील ढंग से उद्योग की नयी विधियों को अपनाने के लिये सदस्यों को प्रोत्साहन देना तथा उनकी सहायता करना, सदस्यों में उद्योग की उन्नतिशील विधियों के प्रदर्शन के लिये यंत्रों को मोल लेना या प्राप्त करना।

(ख) सदस्यों तथा उनके परिवार के नैतिक विकास, सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक उन्नति के लिए निम्नलिखित कार्य करना–

(1) पुस्तकालयों तथा वाचनालयों एवं प्रौढ़शालाओं की स्थापना करना तथा अन्य शैक्षिक कार्यक्रमों में योगदान देना।

(2) खेल–कूद की व्यवस्था करना।

(3) विकास प्रदर्शनी, मेला, गोष्ठियाँ आदि का आयोजन करना।

(4) औषधियों तथा स्वास्थ्यप्रद आदतों द्वारा जनस्वास्थ्य की उन्नति की व्यवस्था।

(5) सर्वोदय के आदर्शों के अनसार अपने कार्यक्षेत्र में ग्राम विकास के होने वाले कार्यों मे सहयोग देना।

(6) सदस्यों एवं ग्रामवासियों मे विवाह, सामाजिक संस्कारों, त्योहारों, मद्यपान तथा जुआं खेलने आदि दुर्व्यसनों में जो अपव्यय होता है, उसे रोकना।

(7) श्रमदान द्वारा यातायात के लिए सड़कों, रास्तों व नानियों का निर्माण करना तथा पीने के पानी के साधनों में आवश्यक सुधार करना।

(8) सदस्यों का इस बात के लिये प्रोत्साहित करना कि वे अधिक से अधिक स्वदेशी एवं ग्रामोद्योगी वस्ताओं का ही प्रयोग करें।

(ग) सदस्यों के लिये सहकारी तथा तकनीकी शिक्षा की व्सवस्था करना, सहकारिता का प्रचार करना तथा सदस्यों मे स्वाबलम्बन की भावना को बढ़ाना।

(घ) सम्पूर्ण औद्योगिक सहकारी आन्दोलन को सुदृड़ बनाने के लिये सरकार एवं उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा बनाई गई योजनाओं और अन्य कार्यक्रमों का प्रसार करना और उन्हें कार्यान्वित करने के लिये प्रोत्साहन देना।

(ड़) ऐसे सभी कार्य करना जिनसे ऊपर लिखे हुए उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता मिले।

सदस्यता

(अ) सदस्यों के वर्गः–

5– समिति में निम्नलिखित प्रकार के सदस्य होंगेः–

(1) साधारण सदस्य

(2) सहानुभूतिकार सदस्य

(3) नाम मात्र सदस्य

(4) सम्बद्ध सदस्य

(ब) सदस्यता की अर्हतायेंः–

6– कोई व्यक्ति जो अपने पर प्रवृत्त विधि के अनुसार व्यस्क हो तथा जो स्वस्थ्य चित्त हो और अपने प्रवृत्त विधि के अनुसार संविदा करने के लिये अनहित न हो, अननुमुक्त दिवालिया हो, समिति के कार्य क्षेत्र में रहता हो तथा ..... उद्योग का कारीगर हो और सहकारी सिद्धातों के अनुसार समिति के उत्पादन के प्रोग्रामों में सम्मिलित होकर कार्य करने की रूचि रखता हो, साधारण सदस्य बन सकता है।

उद्योग में लगे दस कारीगरों से कम अपने कारखाने के काम कराने वाले अगर वह अपने कारीगरों का साधारण सदस्य बन सकते हैं।

(क) वह व्यक्ति जो ..... उद्योग सम्बन्धित व्यवसाय करता हो। ऐसे सदस्यों की संख्या कुल साधारण सदस्यों की संख्या के 30 प्रतिशत से अधिक न होगी।

(ख) राज्य सरकार, यदि वे समिति के सदस्य बनने को तैयार हो।

7– कोई व्यक्ति जो समिति के उद्देश्य की पूर्ति तथा सदस्य कारीकरों के कल्याण में वास्तविक अभिरूचि रखता हो, सहानभूतिकार सदस्य बनाया जा सकता है। ऐसे सदस्यों की संख्या साधारण सदस्यों की संख्या के पाँच प्रतिशत से किसी भी समय अधिक न होगी।

8– वह व्यक्ति जिसके साथ समिति कारोबार करे या कारोबार करने का विचार रखती हो नाम मात्र सदस्य बनाया जा सकता है। समिति के कर्मचारी भी नाम मात्र सदस्य बन सकते है।

9– कोई व्यक्ति जिसके अन्तर्गत आवश्यक भी हो जो समिति के कारोबार में मौससी या अस्थायी कर्मचारी अथवा शिशिक्षु हो या उस कारोबार में अन्य रूप में हित रखता होा, सम्बद्ध सदस्य बनाया जा सकता है।

10– प्रारम्भिक सदस्य वे होंगे जो समिति के निबन्धन के प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे।

11– प्रत्येक साधारण तथा सहानुभूतिकार सदस्य को प्रवेश शुल्क देना होगा। नाम मात्र सदस्य को दस रूपया और सम्बद्ध सदस्य को पाँच रूपया प्रवेश शुल्क देना होगा। प्रवेश शुल्क किसी भी दशा में वापस मांगने का अधिकार किसी सदस्य को न होगा।

12– प्रत्येक साधारण तथा सहानुभूतिकार सदस्य को समिति का कम से कम एक अंश खरीदना होगा। इनके अतिरिक्त उनको उतने अंश खरीदने होंगे जो संचालक मण्डल एलाट करें। नाम मात्र तथा संबंधित सदस्य को कोई अंश खरीदने का अधिकार न होगा।

(स) सदस्य बनाने की प्रक्रिया तथा सदस्यता की अनुमति पाने की शर्तेंः–

13– (क) नियम, 38 के अनुसार प्रत्येक प्रार्थना पत्र समिति के सचिव को दिया जायेगा। सचिव का कर्त्तव्य होगा कि वह ऐसे प्रार्थना पत्र को शीघ्रातिशीघ्र संचालक मण्डल के सम्मुख इस सम्बन्ध में निर्णय लेने के लिए रखे।

(ख) संचालक मण्डल इस सम्बन्ध में सदस्यता के आवेदन पत्र प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के अन्दर आवश्यक निर्णय लेगा तथा निर्णय तिथि से सात दिन में प्रार्थी को निर्णय से सूचित करेगा जब तक कि इस

अवधि में ऐसा करना अनिवार्यणीय परिस्थितियों में सम्भव न हो। यदि सदस्यता के आवेदन पत्र प्राप्त होने के 60 दिन के अन्दर (नाम मात्र तथा सम्बद्ध सदस्यता के लिए 30 दिन के अन्दर) कोई निर्णय नहीं लिया या सूचित किया गया तो यह समझा जायेगा कि सम्बन्धित सदस्यता का आवेदन पत्र अस्वीकार हो गया है।

(ग) सदस्यता के अस्वीकार किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा 98 की उपधारा 1 (ग) के अन्तर्गत अपील की जा सकती है।

14– कोई भी व्यक्ति समिति का सदस्य उस समय तक नहीं बनाया जायेगा जब तक किः–

(क) वह अधिनियम नियमावली तथा समिति की उपविधियों सदस्यता के लिए निर्धारित अर्हताओं की पूर्ति न करता हो।

(ख) उसने समिति की उपविधि 13 की रीति से समिति की सदस्यता के लिए प्रार्थना पत्र न दिया हो।

(ग) सदस्यता के लिए अनुमोदित न किया गया हो।

(घ) किसी समिति के नियम 56 (ख) के अधीन निकाले जाने के प्रभावी होने के दिनांक से दो वर्ष व्यतीत हो जाने के पूर्व।

(ड़) किसी दूसरी समिति का जिसका उद्देश्य वही हो जो समिति का उद्देश्य है, सदस्य हो।

15– (क) सदस्य बनने से पूर्व प्रत्येक व्यक्ति को एक घोषणा–पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे कि यह वर्तमान उपविधियों और उसकी सदस्यता के काल में उनमें नियमानुसार किये गये संशोधन या परिवर्तनों से बाध्य रहेगा। ऐसे घोषणा पत्र दो व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित होंगे जो व्यक्ति समिति के निबन्धन के आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने के कारण पहले से ही सदस्य बन चुका है, उसे भी समिति के निबन्धन होने के बाद एक माह के अन्दर ऐसे घोषणा पत्र पर हसताक्षर करने की घोषणा की जायेगी। यदि वह ऐसा न करे तो समिति की सदस्यता से निकाल दिये जाने की भागी होगा।

(ख) कोई व्यक्ति सदस्यता के किन्ही अधिकारों का उपयोग न कर सकेगा जब तक कि उसने सदस्यता के सम्बन्ध में समिति को उस धनराशि का भुगतान न कर दिया हो अथवा उसने समिति में ऐसा हित न अर्जित कर लिया हो जो नियमों तथा इन उपविधियों में निर्दिष्ट हो।

16– समिति की मांग पर हर सदस्य को अपनी पूंजी, ऋण अथवा अन्य जिम्मेदारियों की पूरी व सही सूचना देनी होगी।

(द) सदस्य का हटाया या निकाला जाना अथवा सदस्यता समाप्त होनाः–

17– (क) कोई सदस्य समिति की सदस्यता से हटाया जा सकता है यदिः–

(1) उसमें सदस्यता के लिये, अधिनियम, नियमों और समिति की उपविधियों में अपेक्षित अर्हताएं न रही हो या कोई अयोग्यता अर्जित कर जी हो।

(2) वह अधिनियम, नियम, और समिति की उपविधियों के उपबन्धों का उल्लंघन करके समिति का सदस्य बनाया गया हो।

(3) वह विकृत वित्त का हो जाय।

(4) उसकी सदस्यता नियम 8 के खण्ड (ख) के उपबन्धों में असंगत हो।

(5) वह समिति के उत्पादन तथा बिक्री के प्रोग्रामों में सम्मिलित होने से इन्कार करे।

(ख) कोई सदस्य समिति की सदस्यता से निकाला जा सकता हैः–

(1) यदि उसने समिति के किसी धन या अन्य सम्पत्ति का दुर्विनियोग किया हो या समिति की किसी सम्पत्ति को हानि पहुंचाई हो और ऐसे जुर्म के लिये भारतीय दण्ड संहित 1960 के अधीन दण्ड मिला हो।

प्रतिबन्ध यह है कि उपरोक्त उत्पन्न अनर्हता अपील में विमुक्ति पर और दोष सिद्ध की दिशा में, यथा स्थित सजा पूरी कर लेने पर या अर्थदण्ड का भुगतान कर देने पर, कायम न रहेगी।

(2) यदि उसने समिति की उपविधियों का उल्लंघन करके समिति के हित को हानि पहुँचाई हो।

(3) यदि समिति की उपविधियों के किन्हीं उपबन्धों के अनुसरण में किसी सदस्य द्वारा की गई घोषणा गलत पाई जाये या किसी सारवान सूचना को दबाने के कारण, दोषपूर्ण हो, और ऐसी गलत या दोषपूर्ण घोषणा के कारण सदस्य को समिति से अनुचित लाभ हुआ हो, अथवा उससे समिति को आर्थिक या वित्तीय हानि अथवा अन्य कठिनाइयाँ हुई हों।

(4) निबन्धक के अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत ओदश पर।

(5) यदि समिति का लगातार बकाया रहता है।

(ग) सदस्यता नीचे लिखी हालतों में समाप्त हो जायेगी:-

(1) मृत्यु हो जाने पर।

(2) सदस्यता से त्याग-पत्र देने एवं उसके स्वीकृत हो जाने पर।

(3) समिति से हटाये या निकाले पर।

(4) समिति का कार्यक्षेत्र छोड़ देने पर।

(5) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किये जाने पर।

(6) उसके निवृत्त होने, स्थानान्तरण पर अथवा उसके द्वारा घृत सभी अंशों के जब्त कर लिये जाने पर।

18- किसी व्यक्ति को जिसे उपरोक्त उपविधियों के आधीन हटाना या निकालना हो, संचालक मण्डल नोटिस प्राप्त होने के दिनांक से 10 दिन के भीतर यह कारण बताने को कहेगा कि क्यों न उसे समिति की सदस्यता से यथास्थित, हटा या निकाल दिया जाय? यदि नोटिस का उत्तर निर्दिष्ट समय के भीतर न दिया जाये अथवा प्राप्त उत्तर संचालक मण्डल की राय में असन्तोष जनक हो तो उक्त सदस्य संचालक मण्डल द्वारा उपरोक्त उपविधियों में उल्लिखित नोटिस की समाप्ति के दिनांक से 15 दिन के भीतर हुई बैठक में उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित संकल्प यथास्थित हटा दिया जायेगा या निकाल दिया जायेगा। उपरोक्त ऐसे प्रयोजन के लिए बुलाई गई सचांलक मण्डल की बैठक की कार्य सूची की एक प्रतिलिपि उस सदस्य को भेजी भी जायेगी, जिसे हटाना या निकालना हो और सम्बद्ध सदस्य को ऐसी बैठक के समक्ष यदि वह ऐसा करना चाहें, अपने मामले के बारे में कहने का अधिकार होगा।

19- उपरोक्त आधार पर निकाले सदस्य को अधिनियम की धारा, 98 की उपधारा 1 (ग) के अन्तर्गत निबन्धक को अपील करने का अधिकार होगा।

20- उपरोक्त उपविधि के अन्तर्गत तथा अधिनियम की धारा 27 की उपधारा 2 के खण्ड (ख) के आधीन हटाया या निकाला गया समिति का कोई सदस्य उस दिनांक से जब निकाले जाने की संकल्प अथवा आदेश प्रभावी हो दो वर्ष की अवधि तक समिति का फिर से सदस्य बनने का पात्र न होगा और वह फिर से सदस्य बनने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए समिति के अधीन कोई पद धारण करने अथवा उसके संचालक मण्डल में निर्वाचन क लिए खड़े होने का भी पात्र न होगा।

21- समिति का कोई भी सदस्य जो कम से कम एक साल तक समिति का सदस्य रह चुका हो यदि समिति का ऋणी (बकायादार) नहीं है या वह किसी ऐसे ऋण का जो अभी चुकता नहीं हुआ है जामिन नहीं है, समिति को एक माह का नोटिस देकर समिति की सदस्यता से प्रथक हो सकता है। नोटिस की अवधि व्यतीत होने के पश्चात् उसके सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि उसने सदस्यता छोड़ दी है और अधिनियम की धारा, 25 में निर्दिष्ट अवधि के व्यतीत हो जाने पर अपने अंशों के सम्बन्ध में समिति द्वारा उसे देय राशियों की वापसी का अधिकारी होगा।

(इ) सदस्यों के अधिकार तथा दायित्व:-

22– समिति का कोई सदस्य, सदस्यता के अधिकारों का प्रयोग करने का तब तक हकदार न होगा, जब तक कि घोषणापत्र पर हस्ताक्षर न कर दे, और समिति को ऐसा भुगतान न कर दे, जो सदस्यता के सम्बन्ध में आवश्यक है या समिति मे ऐसा स्वत्व अर्जित न कर ले जो उस समिति की उपविधियों में व्यवस्थित है।

23– (क) समिति के किसी सदस्य को चाहे समिति की पूँजी में उसके हित की मात्रा कितनी ही क्यों न हो, प्रशासन से मत (वोट) प्राप्त होगा। नाम मात्र अथवा सम्बद्ध सदस्य को मत का अधिकार न होगा।

(ख) किसी सदस्य को मतदान का अधिकार न होगा, यदि वह बाकीदार है और कम से कम छः मास की अवधि पर्यन्त बाकीदार रहा है।

स्पष्टीकरण

1– इस खण्ड के प्रयोजनार्थ शब्द (बाकीदार) का तात्पर्य

(1) ऐसे सदस्य से है जिसे सम्बद्ध समिति के किसी देय का भुगतान देय दिनांक को न किया हों

(2) ऐसे सदस्य सहकारी समिति से है जिनसे देय दिनांक को कुल देयों का कम से कम 75 प्रतिशत का भुगतान न किया हो।

स्पष्टीकरणः– 1–समिति और उसके सदस्य के बीच किसी समव्यवहार की स्थिति में, यदि ऐसे समव्यवहार के साक्ष्य में कोई ऐसा दस्तावेज न हो जिसके देय दिनांक विनिर्दिष्ट हो, तो पूर्ववर्ती स्पष्टीकरण के प्रयोजनार्थ पद ''देय दिनांक'' का तात्पर्य समव्यवहार के दिनांक से 6 मास की समाप्ति का दिनांक होगा।

स्पष्टीकरणः– 2–किसी सदस्य को बाकीदार नहीं समझा जायेगा, यदि वह उस धनराशि का, जिसका भुगतान न करने के कारण वह बाकीदार हुआ होः

(1) निर्वाचन की दशा में, अस्थायी मतदान की सूची के विरूद्ध आपत्तियों पर निर्णय देने के लिये नियमावली के अधीन निर्धारित दिनांक को या उसके पूर्व

(2) किसी अन्य दशा में बैठक प्रारम्भ होने के पूर्व, भुगतान कर दे।

24– प्रत्येक सदस्य, प्रतिदिन तथा नामनिर्दिष्ट समिति के प्रशासन में स्वंय मतदान करेगा और किसी भी सदस्य, प्रतिनिधि अथवा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को दूसरे के माध्यम (प्राक्सी) से मतदान करने की अनुज्ञा नहीं होगी।

25– कोई सदस्य न तो समिति की कुल अंश पूँजी के ऐसे भाग से जो उसके 1/5 से अधिक न हो और जो नियत किया जाय, अधिक धारित करेगा और दस हजार रूपये से अधिक अंकित मूल्य के अंशो में न कोई हित रखेगा और न उसमें किसी हित का दावा करेगा।

26– प्रत्येक सदस्य का यह दायित्व होगा कि वह समिति द्वारा चलाये गये उत्पादन प्रोग्राम में उन आधार पर कार्य करेगा जिसे संचालक मण्डल समय–समय पर निर्धारित करेगा।

27– (क) नाममात्र सदस्यों का समिति के लाभ में कोई हिस्सा पाने का कोई अधिकार न होगा और न वे संचालक मण्डल की सदस्यता के लिये मात्र होगा।

(ख) समयबद्ध सदस्य संचालक मण्डल की सदस्यता के लिये पात्र न होगा और मजदूरी तथा बोनस के अतिरिक्त लाभों में हिस्सा पाने का उसे अधिकार होगा।

(ग) कोई नाममात्र या सम्बद्ध सदस्य, भले ही समिति का दायित्व कुछ भी हो समिति के समाप्त किये जाने पर उसकी परसम्पत्तियों मे अंशदान करने के लिये जिम्मेदार न होगा, सिवाय किन्हीं ऐसे देयों के प्रतिदिन के लिये जिनका वह अकेले या किसी अन्य बकाये के साथ संयुक्त रूप से समिति को देनदार हो।

28– (क) प्रत्येक सदस्य को उन सेवाओं के पाने का अधिकार होगा जो समिति के उपविधियों के निर्दिष्ट उपबन्धों के आधार पर सदस्यों को उपलब्ध हों, और समिति के उत्पादन प्रोग्राम में अपनी योग्यता तथा क्षमता के अनुसार काम पाने का अधिकार होगा।

(ख) यदि किसी सदस्य को सेवा नहीं दी जाती है या सेवा से वंचित किया जाता है या उसकी सेवा पाने की प्रार्थना पर संचालक मण्डल को निर्णय, प्रार्थना पत्र की तिथि से 30 दिन की अवध के अन्दर उसे नहीं सूचित किया जाता है तो वह निबन्धक को निवारण हेतु प्रार्थना पत्र दे सकता है।

29– किसी सदस्य को उसके लिखित रूप से अनुरोप करने पर नीचे उल्लिखित किसी एक या अधिक लेखों की प्रमाणित कापी उसके सामने लिखे शुल्क दिये जाने के दिनांक से एक मास के भीतर दी जायेगीः–

		शुल्क
(1)	समिति की निबद्ध उपविधियों की एक प्रतिलिपि	–रू0 6
(2)	संचालक मण्डल के सदस्यों की सूची	–रू0 1
(3)	अन्तिम लेखा परीक्षित रोकड़ पत्र और वार्षिक लाभ–हानि के लेखे की एक प्रतिलिप	–रू0 2
(4)	अपने लेन–देन के अभिलेखों की प्रतिलिप केवल साधारण तथा सहानुभूतिकार सदस्य को	–रू0 1 प्रतिवर्ष के लिये
(5)	समिति के सदस्यों की एक सूची	–रू0 2
(6)	समिति के सामान्य निकाय या संचालक मण्डल या किसी अन्य बैठक की कार्यवाहियों की एक प्रतिलिपि	–रू0 2

30– किसी सदस्य को स्वंय या किसी एजेण्ट द्वारा जो समिति सदस्य हो कार्यालय के घण्टों में किसी समय सचिव को प्रार्थना पत्र देकर और रू0–2 प्रत्येक अवसर पर शुल्क देकर समिति के लेखों तथा अभिलेखों का उतना निरीक्षण करने अधिकार होगा जहाँ तक उनके सम्बन्ध समिति के साथ सदस्य के व्यवहारों का हो।

31– समिति अधिनियम, नियमों और अपनी उपविधियों की एक प्रति सभी उचित समयों पर निःशुल्क निरीक्षण के लिये समिति के निबन्धित पते पर रखेगी।

दायित्व

32– राज्य सरकार जिला सहकारी बैंक छोड़कर सदस्यों का दायित्व उनके अंश की नामी कीमत के आठ गुने तक समिति रहेगा। राज्य सरकार/जिला सहकारी बैंक का दायित्व उनके अंश की नामी कीमत तक ही समिति रहेगा।

पूंजी

33– समिति की पूँजी निम्नलिखित में से एक या एक से अधिक अथवा समस्त साधनों द्वारा प्राप्त की जा सकती है:–

(क) अंश पूंजी,

(ख) ऋण और अमानतें,

(ग) अनुदान व दान,

(घ) रक्षित निधि, अन्य निधियाँ तथा लाभ।

अंश, उनका मूल्य दिया जाना (एलाटमेंट) और भुगतान

34– (क) समिति के कार्य करने की धनराशि ..... हिस्सों में बांटी जायेगी। एक हिस्से का मूल्य 100/– (सौ रूपया) होगा।

(ख) यह (हिस्सा) व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा प्रत्येक अंश पर 10 रू0 सदस्यता के लिये प्रार्थना–पत्र के साथ अदा करना होगा, दिये जाने (एलाटमेन्ट करने) पर 15 रू0 सदस्य बनने के तीन माह के अन्दर अदा करना होगा। शेष मूल्य संचालक मण्डल के मांगने पर अदा करना होगा। प्रतिबन्ध यह होगा कि किसी एक याचना (मांग) का मूल्य 25 रू0 से अधिक न होगा और यह कि दो याचनाओं के बीच का समय

तीन माह से कम न हो। परन्तु सदस्य को अधिकार होगा कि यदि वह चाहे तो अंश का पूरा मूल्य एक साथ ही जमा कर दे।

(ग) राज्य सरकार द्वारा सीधे या बैंक द्वारा लिये जाने वाले अंश उन शर्तों के अनुसार लिये जा सकेगें जो समिति के संचालक मण्डल और राज्य सरकार अथवा बैंक के बीच तय हो तथा इन्हीं शर्तों के अनुसार इन अंशों की पूंजी लौटाई जायेगी।

(घ) प्रत्येक सदस्य कम से कम एक अंश अवश्य क्रय करेगा, परन्तु कोई सदस्य कुल अंश पूंजी के पांचवे भाग 10 हजार रू0 के मूल्य से अधिक के अंश न क्रय करेगा, और न धारित करेगा।

35– प्रार्थी या उसके प्रति हस्ताक्षरित सदस्यता के आवेदन पत्र के आधार पर अंश दिये जाते ही आवेदक समिति का सदस्य मान लिया जायेगा।

36– (क) प्रत्येक व्यक्ति को जिसे कोई अंश दिया जायेगा बिना किसी व्यय के अंश का प्रमाण–पत्र पाने का अधिकार होगा, उसमें दिये अंश की संख्या और चुकाये गये अंश का उल्लेख होगा। अंश के प्रत्येक प्रमाण–पत्र पर समिति के सचिव और संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत एक संचालक के हस्ताक्षर होगें।

(ख) अंश प्रमाण–पत्र जारी न किये जाने के कारण नियमों तथा इन उपविधियों के अधीन देय लाभांश के सम्बन्ध में किसी अंशधारी के दावे पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

37– यदि संचालक मण्डल को यह संतोष हो जाय कि अंश का प्रमाण–पत्र फट गया है, नष्ट हो गया या खो गया है तो वह एक रूपया लेकर और यदि चाहे तो क्षतिपूर्ति–पत्र (इण्डेम्निटी फार्म) लिखा कर प्रमाण–पत्र की दूसरी प्रति द्वारा उसका नवीनीकरण कर सकता है या दूसरे प्रमाण–पत्र द्वारा पुनः स्थापना करता है।

38– किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य से मिलने वाले ऋण के सम्बन्ध में उक्त सदस्य या भूतपूर्व सदस्य के अशं या पूंजी पर उसकी अमानतों तथा उसके मिलने वाले लाभांश या अधिलाभांश (बोनस) या लाभ पर समिति का प्रथम प्रभार रहेगा। ऐसे सदस्य या भूतपूर्व सदस्य को 15 दिन का नोटिस देकर उसके खाते जमा अथवा उसको मिलने वाले देय धनराशि, समिति किसी भी ऋण के भुगतान में मुजरा कर सकती है।

39– किसी अंश पर उस व्यक्ति के जिसके नाम सदस्य के रूप में वह अंश पंजीबद्ध है, सर्वाधिकार के अतिरिक्त किसी हित तथा अन्य किसी प्रकार के अधिकार को मान्यता देने के लिये समिति बाध्य न होगी।

40– यदि कोई सदस्य याचना में निर्धारित अवधि के भीतर अंश की वाजिब (देय) किस्त की धनराशि नहीं चुकाता तो उसके बकाया पर संचालक मण्डल द्वारा निर्धारित दर से जो 9 प्रतिशत से अधिक न होगी, ब्याज देना होगा।

41– किसी सदस्य से उसके अंश की आंशिक वसूली अथवा उगाही में समिति द्वारा प्रदर्शित ढील के कारण आगे दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत अंश की जब्ती को रोका नहीं जा सकता।

अंश की जब्ती

42– यदि कोई सदस्य भुगतान के लिये निर्धारित अन्तिम दिन तक किसी अंश के सम्बन्ध में देय कोई धन नहीं चुकाता तो उसके बाद संचालक मण्डल किसी भी समय ऐसे सदस्य को नोटिस देकर आदेश दे सकता है कि वह निर्धारित स्थान और समय पर उक्त देय धन ब्याज के सहित चुका दे। नोटिस में यह भी उल्लेख होगा कि निर्धारित समय और स्थान पर इसका भुगतान न होने पर वह अंश जिन पर उक्त धन देय है जमा किये गये सारे धन सहित जब्त किये जा सकते हैं और उन अंशों से सम्बन्धित सदस्यता के अधिकार समाप्त हो जावेगें। इस भांति जब्त किये गये अंश जब्ती की नोटिस की तिथि से तीन मास के अन्दर तक सारा बकाया और प्रति अंश एक रूपया नवीनीकरण शुल्क देकर पुनः जारी कराये जा सकते हैं। नवीनीकरण के लिये उपरोक्त मास की उल्लिखित अवधि की समाप्ति के उपरांत उस भांति किया गया धन रक्षित निधि में जमा कर दिया जायेगा।

43– सचिव और संचालक मण्डल के एक सदस्य से हस्ताक्षरित इस आशय का प्रमाण–पत्र कि अंशों की जब्ती संचालक मण्डल के प्रस्ताव द्वारा हुई है, उसमें निदिष्ट तथ्य का अन्तिम प्रमाण होगा।

44– संचालक मण्डल द्वारा जब्त घोषित प्रत्येक अंश उसके बाद समिति की सम्पत्ति होगी और उसके बाद किसी भी समय उन शर्तों और ढंगों में जिन्हें संचालक मण्डल उचित समझे उसकी बिक्री अथवा पुनर्निगमन या अन्य प्रकार से उसका निस्तारण किया जा सकता है।

45– किस सदस्य का अंश जब्त किया जाता है, वह जब्ती पर ध्यान दिये बिना, जब्ती के समय अंश के आधार पर बाकी सारे धन तथा अंशों की जब्ती के सम्बन्ध में समिति द्वारा किये गये समस्त व्ययों के भुगतान का उत्तरदायी होगा।

46– जब तक जब्त किये गये अंश उपरोक्त विधि से पुनः बिक्री या विपरीत या अन्य ढंग से निस्तारण नहीं किये जाते तब तक संचालक मण्डल की स्वेच्छा और प्रस्ताव से जब्ती के समय बैंक को प्राप्त सारी धनराशि निर्धारित समय के अन्दर चुकाने पर रियायत के तौर पर जब्ती से उन्मुक्ति दी जा सकती है।

अंश के लिये ऋण

47– कोई सदस्य अपने अंश के मूल्य को समिति द्वारा सरकार से ऋण लेकर भुगतान कर सकता है प्रतिबन्ध यह होगा कि यदि समिति इस काम के लिये सरकार से या किसी और प्रभाव से ऋण लेगी तो हर सदस्य को जो यह ऋण लेकर अपने अंश का पूरा मूल्य भुगतान करे, उसे एक बन्धपत्र (बाण्ड) निष्पादन करना होगा। जिस पर दो जमींनदारों के हस्ताक्षर कराने होंगे और ऋण को बन्ध–पत्र में दी गयी शर्तों के अनुसार वापस करना होगा यदि वह बकायादार हो जाता है तो समिति को अधिकार होगा कि साल्सी कार्यवाही करके रूपया सदस्य या जमींनदार से वसूल कर लेगा।

अन्य

48– समिति में किसी सदस्य द्वारा घृत अंशो को, उसके द्वारा उस समिति से जिका वह सदस्य हो भिन्न किसी व्यक्ति या निकाय से लिये गये किसी ऋण के लिये प्रतिभूति के रूप में उसके द्वारा दृष्टिबन्धक नहीं रखा जायेगा।

49– किसी सदस्य का समिति में घृत अंश किसी अन्य समिति में, जिसमें उसकी सदस्यता संक्रमित की गई हो, संक्रमित किया जा सकता है।

50– समिति किसी बहिर्गामी सदस्य के अंश को, संक्रमित होने तक अपनी अंश संक्रमण निधि से क्रय कर सकती है और बाद में वह धनराशि, उस सदस्य से वसूल कर सकती है, जिसे ऐसा अंश अन्ततः संक्रमित किया जाय।

51– किसी सदस्य द्वारा समिति की पूँजी में अपने अंश या हित का संक्रमण बैध न होगा, यदि–

(क) सदस्य ने वह अंश या हित कम से कम एक वर्ष तक धारित न किया हो।

(ख) संक्रमण, समिति के किसी सदस्य के पक्ष में न किया हो।

(ग) संक्रमण का अनुमोदन संचालक मण्डल द्वारा न किया गया हो।

52– समिति के सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति को अंशो का संक्रमण तब तक प्रभावी न होगा जब तक कि–

(क) वह अधिनियम, नियम और इन उपविधियों के अनुसार न किया जाय,

(ख) समिति को लिखित रूप से पूरे तीन दिन का नोटिस न दे दिया जाय जिसमें प्रस्तावित संक्रामिती का नाम, उसकी सहमति और सदस्यता के लिये प्रार्थना–पत्र और संक्रामिती द्वारा भुगतान करने के लिये प्रस्तावित मूल्य इंगित हो।

(ग) समिति को देय, संक्रामणकर्ता के सभी दायित्व उनमोचित न कर दिये जायें।

(घ) संक्रामण समिति की बहियों में निबद्ध न कर लिया हो।

53– (क) यदि समिति का कोई सदस्य, ऐसा सदस्य न रह जाय, जो उसे या उनके नाम निर्दिष्ट व्यक्ति दायाद या विधिक प्रतिनिधि की जैसी भी दशा हो, समिति की अंश पूंजी में उसके अंश या हित का दिया जाने वाला मूल्य ऐसे सदस्य द्वारा समिति को भुगतान की गई वास्तविक धनराशि के बराबर होगा।

(ख) जब किसी व्यक्ति को समिति द्वारा कोई अंश प्रदिष्ट किया जाय अथवा समिति के सदस्य द्वारा कोई अंश संक्रमित किया जाय और संचलाक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया जाय, तो ऐसे प्रदिष्ट या संक्रमित अंश के सम्बन्ध में अपेक्षित–भुगतान अंश के अंकित मूल्य से अधिक होगा।

(ग) समिति अंश का भुगतान उसी समय करेगी जब ऐसे भुगतान की रसीद भुगतान पाने वाले के और दो गवाहों के (समिति के सदस्य में से) हस्ताक्षर सहित और उस अंश का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लें।

सदस्य को उत्तराधिकारी नामांकित करने का अधिकार

54– (क) समिति का कोई सदस्य उसे किसी व्यक्ति और व्यक्तियों के नाम निर्दिष्ट कर सकता है, जिसे उसकी मृत्यु हो जाने की दशा में, समिति की पूंजी में उसका अंश या हित संक्रमित किया जायेगा अथवा उसके मूल्य का या समिति द्वारा उसे देय किसी अन्य धनराशि का भुगतान किया जायेगा। नामांकनन किये जाने की दशा में सदस्य का अंश या समिति में अन्य हित ऐसे व्यक्ति को चुका दिये जायेंगे या हस्तांतरित कर दिये जायेंगे जिसे संचालक मण्डल नियम 80 के अनुसार की गई कार्यवाही के पश्चात उसका उत्तराधिकारी या कानूनी प्रतिनिधि समझें।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई हस्तांतरण तब तक नहीं होगा जब तक कि नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, उत्तराधिकारी या कानूनी प्रतिनिधि यथास्थित, समिति का सदस्य न बना लिया जाय।

(ख) जब कोई सदस्य अपने द्वारा घृत अंशों के सम्बन्ध में एक से अधिक व्यक्तियों के नाम निर्दिष्ट करे तो वह जहाँ तक व्यवहार हो, सम्पूर्ण अंशो के रूप में प्रत्येक नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को दी जाने वाली या संक्रमित की जाने वाली धनराशि को उल्लिखित करेगा।

55– सदस्य द्वारा किया गया हर नामांकन दो साथियों द्वारा प्रमाणित तथा लिखित होगा और सदस्य के जीवन काल में समिति को सौंप दिया जाना चाहिए। सदस्य द्वारा किया गया नामांकन इसी भांति अन्य नामांकन करके रद्द या परिवर्तित किया जा सकता है।

56– अंश के स्पष्ट कानूनी स्वत्वाधिकारी द्वारा किये गये या होने वाले हस्तांतरण को पंजीबद्ध करने या किसी हस्तांतरण को क्रियात्मक रूप देने या ऐसा ही कार्य करने के परिणाम स्वरूप समिति पर उन व्यक्तियों के प्रति जो अंश में किसी सामान्य अधिकार व हित का दावा करते हों कोई उत्तरदायित्व न होगा भले ही ऐसे अंश पर समिति को उस भांति के अधिकार व हित का दावा करने वाले के द्वारा नोटिस मिल चुका है।

उधार लेना

57– नियम 178 के अधीन समिति का अधिकतम दायित्व उसकी निजी पूंजी के आठ गुने तक वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक में जिला सहकारी बैंक, उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक लिमिटेड, लखनऊ से वह सम्बद्ध और उसकी ऋणी होगी, उसके अनुमोदन से निश्चित की जायेगी। यदि समिति किसी ऐसे बैंक से सम्बद्ध अथवा ऋणी नहीं है, तो इसका अधिकतम दायित्व निबन्धक के अनुमोदन से निश्चित होगा, परन्तु निबन्धक की अनुमति के बिना समिति का अधिकतम दायित्व उसकी निजी पूंजी के दस गुना से अधिक न होगा।

58– उपरोक्त ढंग से निश्चित अधिकतम दायितव के अध्यधीन समिति उस सीमा तक या नियम 180 के अन्तर्गत निबन्धक द्वारा कम किए गए अधिकतम दायित्व तक और उन शर्तों पर जिन्हें संचालक मण्डल उचित समझे, सदस्यों और गैर सदस्यों से अमानतें लेकर धन एकत्रित कर सकती है। समिति प्रामिजरी–नोट जारी करके अथवा भूमि भवन या समिति की अन्य सम्पत्ति बन्धक रखकर अथवा ऐसे अन्य साधन से भी जिसे संचालक मण्डल उपयोगी समझे, धन एकत्र कर सकती है।

59– समिति की निजी (स्वाधिकृत) पूंजी का तात्पर्य समिति की संचित हानियों को यदि कोई हो, निकाल देने के पश्चात निम्नलिखित मदों के योग से है:–

(1) दत्त अंश पूँजी।

(2) संचित रक्षित निधि।

(3) सहकारी शिक्षा निधि को छोड़कर समिति की कोई अन्य निधि जो उसके लाभ से सृजित हो, और

(4) सहकारी अनुदानों से विशेष संचित सृजित करने के प्रयोजनार्थ की जाय।

60– निबन्धक की अनुज्ञा के बिना समिति यदि वह किसी केन्द्रीय बैंक का सामान्य सदस्य हो, उक्त बैंक से भिन्न किसी अन्य स्त्रोत से ऋण (निपेक्ष स्वीकार करने को छोड़कर) तब तक नहीं लेगी, जब तक कि बैंक ने उकत समिति को वित्त पोषित करने में असर्थता व्यक्त न कर दी हो।

संगठन और प्रबन्ध

61– समिति के कार्यों का प्रबन्ध निम्नलिखित संस्थाओं और अधिकारियों में निहित होगा।

(क) सामान्य निकाय
(ख) संचालक मण्डल
(ग) सभापति/उप–सभापति
(घ) सचिव

सामान्य नियम

62– अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए समिति का अन्तिम प्राधिकार उसके सदस्यों के सामान्य निकाय के सामान्य बैठक में निहित होगा। समिति के सामानय निकाय में निम्नलिखित सदस्य होंगेः–

(1) समस्त साधारण सदस्य तथा अधिनियत की धारा 34 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट संचालक यदि हो।
(2) समस्त सहानुभूतिकार सदस्य।
(३) निबन्धक का एक प्रतिनिधि।

सामान्य बैठक

६३– सामान्य निकाय की बैठक निम्न चार प्रकार की होगीः–

(क) वार्षिक सामान्य बैठक (ख) साधारण सामान्य बैठक।
(ग) असाधारण सामान्य बैठक (घ) विशेष सामान्य बैठक।

(क) वार्षिक सामान्य बैठक

६४– समिति के प्रत्येक सहकारी वर्ष में वार्षिक विवरणियाँ प्रस्तुत किये जाने और अधिनियम की धारा, ६४ के अन्तर्गत लेखों का परीक्षण हो जाने के पश्चात यथाशीघ्र ३० नवम्बर तक चाहे लेखा परीक्षण किया गया हो या नहीं, अपनी वार्षिक सामान्य बैठक करेगी। प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक ३० नवम्बर के पश्चाात भी समिति को अपनी वार्षिक सामान्य बैठक करने की अनुमति दे सकते हैं और उस दशा से वार्षिक सामान्य बैठक उस प्रकार बढ़ाई गई अवधि के भीतर होगी। वार्षिक कमेटी में निम्नलिखित कार्य होंगेः–

१. प्रबन्धक कमेटी द्वारा अगामी सहकारी वर्ष के लिए तैयार किये गये समिति के कार्यकलापों के कार्यक्रम का अनुमोदन।
२. गत सहकारी वर्ष के रोकड़ पत्र (बैलेन्सीट) और वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार सिवाय उस दशा के जब कि नियमों में निर्दिष्ट अवधि के भीतर लेखा परीक्षा पूरी न हुई हो।
३. नियम, ९२ के अनुसार गत सहकारी वर्ष के लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर विचार, सिवाय उस दशा के जब नियम अवधि के भीतर लेखा परीक्षा पूरी न हुई हो।
४. आगामी सहकारी वर्ष के लिए समिति का अधिकतम दायित्व निश्चित करना।
५. शुद्ध लाभ का निस्तारण।
६. आगाम सहकारी वर्ष के बजट पर विचार।
७. ऐसे किसी अन्य विषय पर विचार जो उपविधियों के अनुसार उनके समक्ष लाया जाय।
८. समिति के प्रतिनिधि का चुनाव जो अन्य समितियों में जिसकी समिति सदस्य हो प्रतिनिधि करे।

९. नियमों और समिति की उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार संचालक मण्डल के सदस्यों का निर्वाचन, यदि कोई होना हो, तथा ऐसे चुने गए संचालकों में से सभापति और उप–सभापति का चुनाव।

१०. यदि समिति ने खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन, उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता ली है तो नियन्त्रण समिति के लिए एक सदस्य (जो संचालक मण्डल के सदस्यों के अतिरिक्त होगा) का चुनना।

६५– यदि समिति की वार्षिक सामान्य बैठक लेखों के परीक्षण होने के पूर्व किसी वर्ष में नियम, ९१ पर समिति की अगली वार्षिक बैठक में विचार किया जायेगा।

66– गत सहकारी वर्ष के लेखा परीक्षा पर विचार करने के लिए, सामान्य बैठक के समक्ष लेखा–परीक्षा प्रमाण–पत्र और लेखा परीक्षा में उल्लिखित मुख्य टिप्पणियों, आपत्तियों और अभिव्यक्तियों का एक संक्षिप्त विवरण रखा जायेगा। यह विवरण सचिव की सहायता के कार्यालय में और कार्य के घण्टों में कार्य सूची (एजेण्डा) जारी कर दिये जाने के पश्चात और वार्षिक सामान्य बैठक होने के दिनांक तक सम्पूर्ण लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का निशुल्क निरीक्षण कर सकेंगे।

(ख) साधारण सामान्य बैठक

67– संचालक मण्डल समिति के कार्य सम्पादन के लिये जब–जब आवश्यक हो, समिति के सामान्य निकाय की साधारण सामान्य बैठक बुलायेगा।

(ग) असाधारण सामान्य बैठक

68– संचालक मण्डल निबन्धक अथवा समिति के सामान्य निकाय के कम से कम 1/5 सदस्यों का लिखित अधियाचन प्राप्त हो जाने के पश्चात एक मास के भीतर समिति की सामान्य निकाय की असाधारण सामान्य बैठक बुलायेगा। संचालक मण्डल के उपर्युक्त बैठक न बुलाने पर निबन्धक अथवा उसके द्वारा तदर्थ अधिकृत किसी व्यक्ति को ऐसे स्थान तथा समय पर जिसका निर्देश दे, साधारण सामान्य बैठक बुलाने का अधिकार होगा।

69–सदस्यों द्वारा असाधारण सामान्य निकाय की बैठक के मांग पत्र पर प्रस्तावित बैठक का उद्देश्य लिखा होना चाहिए और उसे पंजीबद्ध कार्यालय में दे देना चाहिए।

(घ) विशेष सामान्य बैठक

70–समिति की उपविधियों में सेंशोधन करने के लिए नियम, 24 के अधीन नियम 25 तथा उपविधि संख्या 131, 132 और 133 के अनुसार विशेष सामान्य बैठक बुलाई जायेगीं।

बैठक का स्थान

71– समिति की सामान्य निकाय की बैठक केवल समिति के मुख्यालय पर होगी।

72– सामान्य निकाय की बैठक के लिए कम से कम 10 दिन की सूचना आवश्यक होगी आगे बतायी गयी स्थितियों के अतिरिक्त सभा की नोटिस, दिन, स्थान और समय तथा उसमें की जाने वाली कार्यवाही का विवरण देते हुये हर सदस्य को सूचना निम्नलिखित किसी भी प्रकार से दी जायेगी–

(क) समिति के कार्यक्षेत्र में ढिंढोरा पिटवाकर।

(ख) समिति के कार्यक्षत्र के किसी प्रमुख स्थान तथा समिति के कार्यालय पर सूचना की नोटिस चिपकाकर।

(ग) नोटिस की किताब को सदस्यों के पास भेजकर उनके हस्ताक्षर कराकर या नोटिसों को सर्टीफिकेट आफ पोस्टिंग से सदस्यों को डाक द्वारा भेजकर।

यदि नोटिस द्वारा सुचना देने में कोई त्रुटि रह जाये, तो सामान्य निकाय की कार्यवाही अवैधानिक न होगी।

73– सदस्यों की मांग पर हुई सामान्य निकास की बैठक ग्राम सभा बैठक की सूचना में निर्दिष्ट विषय के अतिरिक्त अन्य विषय पर विचार न होगा। अन्य सभाओं में सभापति उन विषयों पर भी विचार की अनुमति दे सकता है जो विचाराधीन विषयों सम्मिलित नहीं है।

बैठक के लिए गणपूर्ति

74– सामान्य निकाय के सदस्यों का 1/3 अथवा पचास सदस्य में भी जो कम हो सामान्य बैठक की गणपूर्ति (कोरम) होगी।

75– यदि बैठक के लिये निश्चित समय से आधे घंट के भीतर गणपूर्ति पूरी न हो तो बैठक उस तिथि तथा सयम के लिए स्थगित समझी जायेगी जैसा उपस्थित सदस्य निश्चित करें। ऐसी स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति सामान्य निकाय के सदस्यों के 1/5 या 25 सदस्यों में जो कम हो, से होगी। गणपूर्ति कम करने की लिखित सूचना सामान्य निकाय के सदस्यों को देनी होगी।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि बैठक सदस्यों या प्रतिनिधियों के अधियाचन पर बुलाई गई हो तो वह निश्चित समय से एक घण्ट के भीतर गणपूर्ति के अभाव में विघटित हो जायेगी।

बैठक का सभापतित्व

76– प्रत्येक बैठक का सभापतित्व सभापति करेगा। उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति सभापतित्व करेगा। दोनों की अनुपस्थित में उपस्थित सदस्य अपने में से किसी एक को बैठक की सभापतित्व के लिए सभापति चुनेंगे। प्रतिबन्ध यह है कि सभापति या उपसभापति सहित कोई व्यक्ति ऐसी बैठक का सभापतित्व उस दशा में नहीं करेगा, जब ऐसे विषयों पर चर्चा की जानी हो, जिसमें उसका व्यक्तिगत हित हो।

बैठक में विषयों का निस्तारण

77– सभापति कार्यवाहियों का संचालन ऐसी रीति से करेगा जो कार्य के शीघ्र ओर संतोषजनक ढंग से निस्तारण करने में सहायक हो और व्यवस्था के सभी प्रश्नों का निर्णय बैठक में करेगा।

78– किसी बैठक के समक्ष सभी विषय उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा परित संकल्प रूप मं निश्चित किये जायेंगे। प्रतिबन्ध यह है कि संचालक मण्डल को कोई सदस्य किसी बैठक में किसी ऐसे विषय पर मतदान न करेगा, जिसमें उसका व्यक्तिगत हित हो, जब तक कि अधिनियम , नियमों या समिति की उपविधियों की आधीन कोई विशिष्ट बहुमत आपेक्षित न हो किसी के पक्ष या विपक्ष में मतों के बराबर–बराबर होने की दशा में बैठक के सभापति को द्वितीय या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

79– जब किसी बैठक में उपस्थित सदस्यों में किसी संकल्प पर मतभेद हो तो कोई सदस्य मतदान की मांग कर सकता है। जब मतदान की मांग की जाय तो सभापति संकल्प पर मतदान करा सकता है। मतदान हाथ उठाकर किया जायेगा।

80– प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक प्रतिनिधि तथा प्रत्येक नाम निर्दिष्ट व्यक्ति समिति के प्रशासन में स्वयं मतदान करेगा, प्रत्येक प्रतिनिधि अथवा नाम निर्दिष्ट को दूसरे के माध्यम (प्राक्सी) से मतदान करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

81– यदि कार्यसूची के सभी कार्य बैठक के दिनांक को पूरे न किये जा सके तो बैठक दूसरे दिनांक के लिए स्थगित की जा सकती है जैसा कि बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निश्चित किया जाय।

82– सभी बैठकों की कार्यवाहियों की प्रोसीडिंग इस प्रयोजन के लिए रखी गई पुस्तिको में अभिलिखित की जायेगी और कार्यवृत्तियों पर बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति और सचिव द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।

बैठक के बुलाने का अधिकार

83– (1) अधिनियम की धारा 31 में किसी बात के होते हुए भी, सचिव का और सचिव की अनुपस्थित में संचालक मण्डल के सभापति का यह कर्त्तव्य होगा कि वह सामान्य निकाय की वार्षिक सामान्य बैठक बुलाये। ऐसा न करने पर निबन्धक, या उनके द्वारा तदर्थ यथा–विधि प्राधिकृत व्यक्ति वार्षिक सामान्य बैठक बुला सकता है।

(2) समिति के कार्य सम्पादन के लिए जब–जब आवश्यक हो, सचिव समिति की साधारण सामान्य बैठक बुला सकता है।

(3) सामान्य निकाय के कम से कम 1/5 सदस्यों का लिखित अधियाचन प्राप्त होने क पश्चात एक मास के भीतर सचिव सामान्य निकाय की असाधारण सामान्य बैठक बुलायेगा। सचिव के उपर्युक्त बैठक न बुलाने पर निबन्धक या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी व्यक्ति को ऐसे स्थान तथा समय पर जिसका वह निर्देश दे, असाधारण बैठक बुलाने का अधिकार होगा।

संचालक मण्डल

84– समिति का प्रबन्ध एक संचालक मण्डल में निहित होगा जो ऐसे अधिकारों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो अधिनियम, नियमों और उपविधियों द्वारा प्रदत्त और आरोपित किये गये है।

85– संचालक मण्डल में निम्नलिखित होंगेः–

(1) साधारण सदस्यों के सात/नौ संचालक, जिसमें एक सभापति तथा एक उपसभापति होंगे। मण्डल में सहानुभतिकार सदस्यों की संख्या 2 से अधिक न होगे और कम से कम चार संचालक शिल्पकार सदस्यों (आर्टीजन) में से होंगे।

(2) निबन्धक, ग्रामोद्योगिक सहकारी समितियों का एक प्रतिनिधि।

(3) अधिनियम, की धारा, 34 के अधीन राज्य सरकार केक दो संचालक यदि कोई हो।

(4) खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का नाम निर्दिष्ट संचालक अगर बोर्ड से समिति को कोई सहायता मिली हों

(5) जिला सहाकरी बैंक का नाम निर्दिष्ट संचालक अगर बैंक से समिति को सहायता मिली हों।

संचालक चुने जाने अथवा बने रहने की अनर्हता

86– कोई व्यक्ति समिति के संचालक मण्डल का न तो सदस्य चुना जायेगा न बना रहेगा यदिः–

(क) उसकी आयु 21 वर्ष से कम है,

(ख) वह दिवालिया घोषित हो,

(ग) वह विकृत चित्त से बहरा और गूंगा या अन्धा हो अथवा कोढ़ से पीड़ित हो,

(घ) उसे निबन्धक की राय में दैनिक पतन सम्बन्धित अपराध के लिए दण्ड दिया गया है और ऐसे दण्ड अपील में रद्द न किया गया हो,

(ड़) वह या निबन्धक की राय में, उसके परिवार का कोई सदस्य निबन्धक की अनुज्ञा के बिना समिति के कार्य क्षेत्र के भीतर, उसी प्रकार का कारोबार करना शुरू करे या करता हो , जैसा समिति करती हो,

(च) वह अधिनियम, या नियमों अथवा उपविधियों के प्रतिकूल समिति के साथ या उसकी ओर से कोई व्यवहार या संविदा करें,

(छ) वह समिति के अन्तर्गत लाभ का पद स्वीकार करे या धारण करता हो,

(ज) वह समिति के सामान्य निकाय का सदस्य न हो,

(झ) वह अधिनियम या नियमों के अधीन किसी अपराध के लिये दोषी सिद्ध किया गया हो, जब तक दोष सिद्ध के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि व्यतीत न हो गई हो,

(ञ) वह ऐसा व्यक्ति हो जिसके विरूद्ध किसी सहकारी समिति ने धारा, 91 के अधीन आदेश प्राप्त कर लिया हो और उसे आदेश की पूर्ति न हुई हो,

(ट) यदि वह अपने द्वारा लिये गये किसी ऋण या ऋणों के सम्बन्ध में कम से कम 6 माह से बकायादार हो,

(ठ) वह तीन अन्य समितियों की प्रबन्ध कमेटी का पहले से ही सदस्य हो।

(ड) वह राजकीय सेवा या किसी समिति की सेवा अथवा निगमित निकाय से कपट, दुराचरण या आशुचिता करने के लिये पदच्युत किया गया हो और पदच्युत का ऐसा आदेश अपील में रद्द न किया गया हो,

(ढ) वह किसी ऐसी समिति के निबन्धन के प्रार्थना–पत्र में सम्मिलित हो अथवा उसकी प्रबन्ध कमेटी का सदस्य रहा हो जो बाद में निबन्धक द्वारा अधिनियम की धारा 72 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन इस आधार पर समाप्त कर दी गई हो कि समिति का निबन्धन कपट पूर्वक कराया गया और निबन्धक का ऐसा आदेश अपील में उत्क्रमित न किया गया हो।

(ण) वह समिति के वैतनिक कर्मचारी का निकट सम्बन्धी है।

(च) वह अधिनियम, नियम या समिति की उपविधियों के किसी उपबन्ध के अधीन अन्यथा अनर्ह हो।

87– संचालक मण्डल का सदस्य यदि वह संचालक मण्डल की तीन लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो वह अस्थाई रूप से संचालक मण्डल का सदस्य न रहेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि समबन्धित व्यक्ति इस उपविधि के अनतर्गत अर्जित अनर्हता की नोटिस पाने के पन्द्रह दिन के अन्दर निबन्धक या ऐसे अधिकारी को जिसका पद सहायक निबन्धक से कम न होगा और जो निबन्धक द्वारा इस कार्य के लिये प्राधिकृत किया गया हो, के पास प्रतिवेदन (रिप्रजेन्टेशन) कर सकता है और जहाँ निबन्धक अथवा अधिकृत प्राधिकारी, यथास्थित इस बात से संतुष्ट हो जाय कि सम्बन्धित व्यक्ति की अनुपस्थिति के लिये पर्याप्त कारण थे तो वह आदेश द्वारा इस आशय की घोषणा कर सकता है। ऐसी घोषणा करने पर अस्थाई रूप से अर्जित अनर्हता समाप्त हो जायेगी और यह समझा जायेगा कि वह व्यक्ति संचालक मण्उल का सदस्य बना रहा।

स्पष्टीकरण

निबन्धक अथवा निबन्धक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जहाँ तक सम्भव होगा ऐसे प्रतिवेदन (रिप्रेजेन्टेशन) पर तीस दिन में अपना निर्णय देंगें।

88– उपरोक्त उपविधि 86 के उपबन्ध, संचालक मण्डल नाम निर्दिष्ट संचालक पर लागू नहीं होगे।

89– कोई व्यक्ति जो समिति संचालक मण्डल की सदस्यता के लिये निर्वाचन लड़े किन्तु ऐसे निर्वाचन हार जाए, आमेलव या नाम निर्देशन द्वारा ऐसा सदस्य होने के लिए पात्र न होगा।

90– उक्त उपविधि 86 के अधीन निर्धारित अर्हतायें निम्नलिखित शर्तों के अधीन लागू होंगे।

अर्थातः– (1) उक्त उवविधि के खण्ड (ज) में निर्धारित अनर्हतायें संचालक मण्डल के किसी नाम निदिष्ट सदस्य पर,

(2) उक्त उपविधि के खण्ड (घ) या खण्ड (ड़) में निर्धारित अनर्हता, दोष सिद्ध अधीन, अर्थ दण्ड देने या दोष सिद्ध होने पर दण्ड पा लेने या पदच्युत के आदेश के यथास्थिति पांच वर्ष की समाप्त के पश्चात् समाप्ति हो जायेगी।

91– ज्यों ही संचालक मण्डल का कोई सदस्य नियमों या उपविधियों उल्लिखित अनहर्ताओं में से कोई अनर्हता अर्जित कर लेता है तो संचालक मण्डल उस तथ्य पर इसी उद्देश्य के लिए बुलाई गई बैठक में विचार करेगा। ऐसी बैठक की कार्यसूची की एक प्रति उस संचालक को जिसके विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रस्ताव हो, रजिस्ट्री डाक द्वारा (प्राप्त अभिस्वीकृति) भेजी जायेगी। यदि सम्बन्धित व्यक्ति को ऐसी अनर्हता/अनहर्ताओं के कारण, संचालक मण्डल की सदस्यता से हटाने का संकल्प पारित हो जाये तो ऐसे संकल्प की एक प्रति भी सम्बद्ध व्यक्ति को रजिस्ट्री डाक द्वारा (प्राप्त अभिस्वीकृति) भेजी जायेगी। तदुपरान्त ऐसे व्यक्ति को संचालक मण्डल अथवा उसकी किसी उपसमिति की बैठक में भाग लेने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी। ऐसे व्यक्ति का पद रिक्त घोषित किया जोयगा।

यदि वह व्यक्ति ऐसी कार्यवाही से क्षुब्द हो तो वह नोटिस प्राप्त होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर अधिनियम और नियमों के मध्यस्थ कर सकता है।

92– उपरोक्त उपविधि 86 में अर्जित, अनर्हता की दशा में उपरोक्त उपविधि 91 में अर्जित संकल्प पारित किया जा सकता है तथा सम्बन्धित व्यक्ति को नोटिस दी जा सकती है, परन्तु उसे सदस्य की हैसियत से कार्य करने से

वंचित नहीं किया जा सकता है यदि उसकी अनुपस्थिति उपरोक्त उपविधि के अन्तर्गत पर्याप्त कारण से हुई घोषित की गयी।

संचालक मण्डल का कार्यकाल

93– नियम, 406, 433, 434, और 435 में जैसा कि अन्यथा उपबन्ध किया गया है इसके सिवाय समिति को संचालक मण्डल के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि संचालक मण्डल के नव निर्वाचन सदस्य समिति को पद मुक्त होने वाली संचालक मण्डल के सदस्यों को प्रतिस्थापित करेंगे जिसके पश्चात् और ऐसा निर्वाचन होने वाली संचालक मण्डल का कार्यकाल पूरा हुआ समझा जायेगा।

स्पष्टीकरणः– किसी निर्वाचन सदस्य के कार्यकाल के अवधारण के प्रयोजन के लिये उस सहकारी वर्ष में ऐसे निर्वाचन के पश्चात् कोई भी अवधि शेष रह गई हो।

94– कोई भी व्यक्ति संचालक मण्डल में निर्वाचित आमेलित किये जाने के लिये पात्र न होगा यदि उसने पूर्ण या आंशिक रूप से दो लगातार कार्यकाल केतक समिति में पद धारण किया हो।

प्रतिबन्ध यह है कि नियम, 404,434, या 445 या अधिनियम 35 की उपधारा (3) खण्ड (क) के अधीन,संगठित संचालक मण्डल के सदस्य के रूप में धारित व विधि की गणना पात्रता के प्रयोजनार्थ इस उपविधि के अवधि की गणना करने के लिये नहीं की जायेगी।

स्पष्टीकरणः–(1) यदि नियम लागू होने के समय कोई व्यक्ति समिति के संचालक मण्डल का सदस्य हे और यह नियम लागू होने के पश्चात् वह पुनः संचालक चुन लिया जाता है अथवा आमेलित किया जाता है तो यह समझा जायेगा कि वह ऐसे निर्वाचन और आमेलन के पूर्व एक कार्यकाल तक समिति में पद धारण किये था।

(2) प्रत्येक ऐसा सदस्य कम से कम लगातार तीन वर्ष तक संचालक मण्डल का सदस्य न रहने के पश्चात् पुनः संचालक मण्डल का सदस्य चुने या आमेलित किये जाने के लिये पात्र हो जायेगा।

नाम निर्दिष्ट संचालक का कार्यकाल

95– नाम निर्दिष्ट कोई संचालक अधिनियम और नियमों के अधीन निर्दिष्ट प्राधिकारी के प्रसाद पर्यन्त पदासीन रहेगा।

संचालकों में आकस्मिक रिक्त स्थानों की पूर्ति

96– यदि संचालक मण्डल में निर्वाचित सदस्यों के पद में कोई आकस्मिक स्थान रिक्त हो तो वह संचालक के शेष सदस्य द्वारा उन व्यक्तियों में से संचालक मण्डल की सदस्यता के लिए पात्र हो, आमेलन द्वारा पूरी की जायेगी।

संचालक मण्डल की बैठक

97– संचाकल मण्डल, समिति का कार्य करने लिये जब–2 आवश्यक हो बैठक कर सकता है, उसे स्थापित कर सकता है और जैसा वह उचित समझे बैठक का नियनत्रण कर सकता हैं संचालक मण्डल की किसी बैठक में उठे प्रश्नों पर निर्णय बहुमत द्वारा होगा। समान मत होने पर सभापति को द्वितीय या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

98– यदि बैठक में कोई सदस्य बहुमत की राय से मतभेद रखता है तो वह अपने मतभेद की कार्यवाही पुस्तिका में लिपिवद्ध करने के लिये आग्रह कर सकता है, जिसे सभापति को लिपिवद्ध करना होगा।

संचालक मण्डल का कार्यकाल

99– समिति के सभापति और उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति अथवा दोंनो की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदसें द्वारा चुना गया कोई सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सभापति और

उपसभापति सहित कोई व्यक्ति ऐसी बैठक की अध्यक्षता उस दशा में नहीं करेगा जब ऐसे विषयों पर चर्चा की जानी हो जिसमें उसका व्यक्तिगत हित हो।

100–(1) समिति के संचालक मण्डल के कोई भी तीन सदस्य मण्डल की बैठक बुलाने के लिये अधियाचन कर सकता है।

(2) यदि कोई सेवक समिति की संचालक मण्डल का नाम निर्दिष्ट या पदेन सदस्य हो तो वह समिति के किसी पदाधिकारी या किसी प्रतिनिधि के चुनाव सम्बन्धी मामलों में मतदान नहीं करेगा।

(3) समिति के कार्यकलापों में संचालक मण्डल का प्रत्येक सदस्य साधारण व्यवसायी की तरह बुद्धिमानी और मेहनत से कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जो अधिनियम नियमों या इन उपविधियों के उपबन्धों के प्रतिकूल हो और इनके अधीन सौंपे गये कत्तव्यों का पालन करने में चूक नहीं करेगा।

(4)(क) समिति के किसी अधिकारी का, सिवाए समिति की उपविधियों द्वारा दी गयी अनुज्ञा के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से:–

(1) समिति के साथ की गयी किसी संविदा में।

(2) समिति द्वारा बेची गयी या खरीदी हुयी किसी सम्पत्ति में।

(3) समिति के किसी वैतनिक कर्मचारी के लिये, यदि अधिकारी स्वयं वैतनिक कर्मचारी हो, समिति द्वारा निवास स्थान की व्यवस्था से भिन्न, समिति के किसी व्यवहार में कोई हित नहीं होगा।

(ख) समिति का कोई वैतनिक अधिकारी समिति के देयों की वसूली में समिति के किसी सदस्य की बेची जाने वाली किसी सम्पत्ति को न तो खरीदेगा न अपने किसी अतिथि को खरीदने की अनुज्ञा देगा।

संचालक मण्डल की बैठक की गणपूर्ति

101– संचालक मण्डल की बैठक की गणपूर्ति पांच संचालकों से होगी, जिसमें कम से कम दो शिल्पकार सदस्यों (आर्टीजन) में से होना आवश्यक है। संचालक मण्डल की बैठक के लिये सात दिन का नोटिस आवश्यक होगा, परन्तु विशेष परिस्थितियों में इससे कम अवधि की नोटिस पर भी संचालक मण्डल की बैठक बुलाई जा सकती है।

संचालक मण्डल के साधारण अधिकार

102– समिति के कारोबार का संचालन और प्रबन्ध संचालक मण्डल द्वारा होगा। जिसे अधिनियम और नियमों तथा इन उपविधियों के अन्तर्गत ऐसे सभी समझौते करने, ऐसी सभी व्यवस्था करने, ऐसी सभी कार्यवाहियां करने तथा ऐसे सारे कार्य करने का अधिकार और उन अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार होगा, जो समिति के कार्यों का उचित प्रबन्ध करने तथा जिन उद्देश्यों से समिति की स्थाना हुई है, उनकी पूर्ति एवं समिति के हित तथा उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक एवं उचित होंगे।

संचालक मण्डल के स्पष्ट अधिकार

103– (अ) इन उपविधियों द्वारा समर्पित आम अधिकारों की उपेक्षा किये बिना संचालक मण्डल को निम्नलिखित अधिकार और कर्त्तव्य स्पष्ट रूप से सौंपे जाते हैं।

(1) नये सदस्य बनाना और निश्चित करना कि प्रत्येक समिति में कितने अंश लेगा नियम, 56 के अन्तर्गत सदस्यों को निकालना या पृथक करना, सदस्यों के त्याग पत्र स्वीकार करना।

(2) अधिनियम, नियमों तथा उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार हिस्सों की बदली तथा वापसी की स्वीकृत लेना तथा गत सदस्यों के हिस्से का रुपया वापस करना।

(3) वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक के सामने वार्षिक लेखा, गत वर्ष के कार्य का प्रतिवेदन संतुलन पत्र, अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिये प्राविधान तथा लाभ वितरण के सम्बन्ध में सिफारिश प्रस्तुत करना।

(4) समिति का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिये नियम बनाना, उनमें संशोधन करना और नियम तथा संशोधन सामान्य निकाय की बैठक से स्वीकृत करना।

(5) निबन्धक की आज्ञा से नियमों और उपविधियों के अनुसार नाकाबिल वसूल रकमें को पूरा करने, मुनाफा तकसीम करने और बचत की पूंजी के इस्तेमाल के लिये सामान्य निकाय की बैठक में सुझाव प्रस्तुत करना।

(6) समिति के कार्य से सम्बन्ध रखने वाली शिकायतों और सदस्यों के आपसी झगड़ों को सुनना और बिना पक्षपात के फैसला करना।

(7) सदस्यों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व आर्थिक उन्नति तथा सुधार को प्रत्येक योजनाओं पर विचार करना और उनके अनुसार कार्य करना और उनकी सहायता करना।

(8) जब 1/5 सदस्य या निबन्धक समिति की बैठक बुलाने का आग्रह करे तो उन बैठकों का बुलाना।

(9) सामान्य निकाय के आदेश पालन करना तथा समिति के प्रत्येक कार्य की अधिनियम नियमों और उपविधियों के अनुसार सभी कार्यों को करना।

(10) उप–समिति नियुक्त करना और अपने सर्व अथवा कोई अधिकार किसी उप–समिति को देना।

(11) मुख्यतः उद्योग को चलाना तथा समिति में..... ..... वस्तुओं के बनाने (मैनुफैक्चर कराने) का प्रबन्ध करना।

(12) उपर्युक्त उद्योग के लिये आवश्यक कच्चा माल और दूसरी प्रयोग में आने वाली वस्तुओं को मंगाना, सदस्यों को उत्पादन के लिये देना, अच्छे किस्म का सामान तैयार करना, बेचना तथा उनमें माल वापस लेकर बेचने का प्रबन्ध करना। उनका तैयार माल खरीद कर बेचने का का प्रबन्ध करना।

(13) मशीनों और औजारों जो, यन्त्रों तथा घर पर काम में प्रयोग आने वाली मशीनों आदि को खरीदने या किराये पर लेने का प्रबन्ध करना और उनको सदस्यों के काम करने के लिये देना, बेचना या किराये पर देना।

(14) नियम 176 के उपबन्धों का पालन करते हुए समिति का कारोबार चलाने हेतु कोई भूमि या भवन क्रय करना, लीज पर लेना या अन्य प्रकार से प्राप्त करना।

(15) तैयार माल को अपने या आढ़तियों के गोदाम में सुरक्षित रखने का प्रबन्ध करा और बिक्री के लिये उचित शाखायें स्थापित करना।

(16) दस्तूरों या अन्य व्यय की दर निश्चित करना जो समिति अपने सदस्यों से उनके माल बिकने के बदले में लेगी।

(17) अपने सदस्यों के उद्योग विशेषता उपयुक्त व्यवस्था की शिक्षा देना तथा प्रचार करना।

(18) समिति हेतु निबन्धक के विशेष तथा साधारण आदेशों के अनुसार अमानतें एवं ऋण प्राप्त करना।

(19) समिति और उनके सदस्यों का व्यवसाय चलाने के लिये पूंजी का प्रबन्ध करना। सरकार द्वारा प्राप्त आर्थिक सहायता को नियमानुसार वितरण करना या उसकी वसूली की व्यवस्था करना तथा सभापति और सचिव द्वारा किये गये सभी व्यय की स्वीकृत देना।

(20) सर्वसदस्य सभा ने यदि कोई कायदे निर्धारित किये हों, तो उनके प्रतिबन्ध के साथ सायर खर्च करना।

(21) कुल रूपया, माल सम्पत्ति, जो समिति के हिसाब में मिले या ली जाये, उसके उचित रीति से वसूल करने और रखने का प्रबन्ध करना।

(22) कुल लेखा की निगरानी और जांच करना।

(23) आगामी वर्ष के आय तथा व्यय के बजट पर विचार करना और स्वीकृत लेना।

(24) हिस्से की किश्तों के ठीक समय पर अदा होने की निगरानी करना और उनकी वसूली के लिये उचित व्यवस्था।

(25) नादेहन्द सदस्यों के विरूद्ध सालिसी कार्यवाही करना।

(26) सालिसी फैसलों के इजरा में अहलकारान को मदद देना।

(27) अपने किसी सदस्य या सचिव द्वारा समिति के कार्य सम्बन्धी उन समस्त नालिशों और दावों का दायर करना, उनकी पैरवी और जवाबदेही करना उया उनके विरूद्ध राजीनामा या वाजदावा लेना, जो समिति या उनके किसी कर्मचारी की ओर से उनके विरूद्ध चलाये जायें।

(28) समिति की तरफ से उस सीमा तक कर्ज या अमानतें हासिल करना, जिसकी सर्वसदस्य बैठक ने निर्धारित किया हो और निबन्धक ने मन्जूर किया हो और उनके सूद की दर तय करना और ऐसे कर्जे और अमानतों को नियत समय पर वापस करना।

(29) समिति की तरफ से केन्द्रीय समिति, बैंक तथा किसी अन्य सहकारी समिति में हिस्सा खरीदना तथा केन्द्रीय समिति के हिस्से व ऋण की किश्तों का ठीक समय पर भुगतान देना।

(30) आडिटर की जांच के बाद समिति का देना पावना का चिट्ठा छपवाना।

(31) समिति का रूपया या कोई दूसरी सम्पत्ति वसूल करना, वापस लेना या खर्च करना या एक खास लिखित आज्ञा से अपने एक या अधिक सदस्यों को वसूल करने, वापस लेने या खर्च करने का अधिकार देना और समिति की पूंजी, सम्पत्ति और कागजों को सुरक्षित रखने का प्रबन्ध करना।

(32) किसी ऐसे बैंक में समिति का खाता खोलना जिसको निबन्धक ने मान लिया हो।

(33) समिति के कुल हिसाब के रजिस्टरों की आर्थिक स्थिति की जांच करना और सदस्यों को समझाना।

(34) समिति का हिसाब आडिट के लिये पेश करना और नियमों के अनुसार जो आडिट–शुल्क निबन्धक लगायें, उसको अदा करना। निरीक्षण करना अधिकारियों के सम्मुख कागजात पेश करना। नियम, 93 के अधीन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का संक्षिप्त विवरण तैयार करना।

(35) निबन्धक और उनके सहायकों के निरीक्षण पत्रों और आडिट नोटों पर विचार करना।

(36) किसी ऋण व स्वत्व का पारस्परिक निपटारा करना या उसे मध्यस्थ निर्णय के लिये भेजना अथवा किसी ऋणी को अपना ऋण चुकाने की मुहलत देना।

(37) ऐसी सारी कार्यवाहियों और वाद जिन्हें संचालक मण्डल चलाना या प्रतिवाद करना आवश्यक या उचित समझे प्रारम्भ करना, चलाना, चालू रखना या प्रतिवाद करना या परस्पर समझौता करना या मध्यस्थ निर्णय के लिये भेजना।

(38) अधिनियम की धारा 31 तथा नियम 126 और अधिनियम की धारा 121 और 122 के अधीन बनाये गये विनियम के अधीन सचिव की नियुक्ति करना, उन्हें हटाना, निलम्बित करना या अन्य प्रकार से दण्डित करना और उनका पारिश्रमिक निश्चित करना।

(39) समिति के कारोबार के प्रबन्ध में सचिव की सहायता केलिये अधिनियम और नियमों के आधीन अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों और लिपिकों की नियुक्ति करना, उन्हें हटाना, निलम्बित करना या अन्य प्रकार से दण्डित करना और उनका पारिश्रमिक निश्चित करना।

(40) (क) नियम 64 के अधीन लिखित रूप में अनुरोध करने पर किसी एक या अधिक लेखों को निश्चित शुल्क लेकर देना।

(ख) नियम 376 के अधीन समिति के लेखों तथा अभिलेखों का निश्चित शुल्क लेकर निरीक्षण करना।

(41) उन प्रतिबन्धों और शर्तों के अन्तर्गत जिन्हें संचालक मण्डल समय–समय पर लागू करना उचित समझें, तत्कालीन सचिव और समिति के अन्य अधिकारियों को ऐसे सब या कुछ अधिकार और कर्तव्य जो संचालक मण्डल को सौंपे गये हैं, कार्यान्वित करने के लिये अधिकृत करना।

103– (ब) यदि किसी औद्योगिक सहकारी समिति ने खादी ग्रामोद्योग कमीशन या बोर्ड से सहायता प्राप्त की है तो संचालक मण्डल के अतिरिक्त समिति में एक नियंत्रण समिति भी बनायी जायेगी, जिसकी बैठक कम से कम वर्ष में एक बार अवश्य होगी तथा आवश्यकता पड़ने पर अधिक बार भी बुलायी जा सकती है।

नियंत्रण समिति में तीन निम्नलिखित सदस्य होंगे–

(1) बोर्ड द्वारा मनोनीत एवं सार्वजनिक कार्यक्षेत्र का व्यक्ति, जो नियन्त्रण समिति का सभापतित्व भी करेगा। इसे किसी भी समय हटाने अथवा बदलने का अधिकार बोर्ड को होगा और जिसकी सूचना अनिवार्य रूप में समिति के सभापति एवं मंत्री को दी जायेगी।

(2) सामान्य निकाय द्वारा निर्वाचित एक सदस्य।

(3) संचालक मण्डल में बोर्ड को नाम निर्दिष्ट सदस्य जो नियंत्रण समिति की लिखा पढ़ी का कार्य भी करेगा तथा नियंत्रण समिति का संयोजक होगा।

(स) नियंत्रण समिति के निम्नलिखित कर्तव्य एवं अधिकार होंगेः–

(1) खादी तथा ग्रामोद्योग कमीशन एवं उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा समिति को जो आर्थिक सहायता दी जाती है, उसका दुरूपयोग न होने पाये, इस पर देख–रेख करना।

(2) संचालक मण्डल को संबंधित ग्रामोद्योग के विकास कार्य–क्रम को तैयार करने या चलाने तथा समिति की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने से संबंधित सुझाव देना।

(3) उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिये नियंत्रण समिति प्रत्येक तिमाही में समिति के तमाम लेखाजोखा का परीक्षण एवं अंकक्षण एक बार अवश्य करेगी, करायेगी और उसकी सूचना अपने जिले के जिला ग्रामोद्योग अधिकारी को देगी।

(4) समिति की आर्थिक स्थिति व कार्य स्थिति की रिपोर्ट वर्ष के अन्त में तैयार करके/कराके समिति की आमसभा की बैठक में प्रस्तुत करेगी जिसकी एक प्रतिलिपि संबंधित प्रबन्धक (ग्रामोद्योग)/जिला ग्रामोद्योग अधिकारी के माध्यम से मुख्य कार्यपालक अधिकारी उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को प्रेषित की जायेगी।

(5) समिति के किसी पत्र या लेखा की किसी भी समय जांच करना व लेखा और भण्डार प्रमाणीकरण करते समय उपस्थित रहना।

(6) यदि संचालक मण्डल ठीक से समिति या संबंधित ग्रामोद्योग के हित में अपने उत्तर दायित्वों का निर्वाहन न कर रहा हो, तो नियमानुसार आम सभा को बुलवाकर संचालक मण्डल के सदस्य या सदस्यों को अलग करने की संस्तुति करना।

(7) आम सभा द्वारा पास किये हुए प्रस्ताव के अनुसार अन्य विशेष अधिकार का प्रयोग करना, जो सहकारिता अधिनियम, नियमावली एवं उपविधियों के अन्य नियमों के प्रतिकूल न हो।

(8) नियन्त्रण समिति के सदस्य के नाते खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन अथवा उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के निर्दिष्ट सदस्य का, जो समिति के संचालक मण्डल में भी है, कर्तव्य होगा कि वह संचालक मण्डल में पास किये हुए ऐसे प्रस्तावों की सूचना तत्काल अपने प्रबन्धक (ग्रामोद्योग)/जिला ग्रामोद्योग अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, खादी बोर्ड को देगा, जिनसे वह असहमत हो अथवा जो खादी कमीशन तथा बोर्ड के आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव डालते हों ऐसे संदर्भ की एक प्रतिलिपि वह संचालक मण्डल के अध्यक्ष को भी देगा। जिस पर संचालक मण्डल अपने विचारों से खादी ग्रामोद्योग कमीशन अथवा बोर्ड को अवगत करा सकता है। संचालक मण्डल ऐसे प्रस्तावों को तब तक लागू नहीं करेगा जब तक कि इस विषय पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, खादी बोर्ड अथवा उनके किसी प्रतिनिधि के आदेश न प्राप्त हो जायें। खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन या बोर्ड को यह अधिकार होगा कि वह अपने मनोनीत प्रतिनिधि द्वारा सूचित सन्दर्भ में अपने हितों की सुरक्षा को

दृष्टिगत रखते हुए जैसा उचित समझे, सूचना प्राप्त होने के दो माह के अन्दर आदेश प्रसारित कर दें। ये आदेश समिति को अनिवार्य रूप से मान्य होंगे।

संचालक मण्डल के कार्य की वैधता

104– संचालक मण्डल के कार्य, संचालक मण्डल में रिक्त स्थान या किसी संचालक की योग्यता की त्रुटि पर विचार किये बिना वैध समझे जायेंगे, मानो कोई स्थान रिक्त न था और संचालक की योग्यता में कोई त्रुटि न थी।

बैठकों का स्थान

105– समिति की संचालक मण्डल की बैठक केवल समिति के मुख्यालय पर होगी।

सभापति/उपसभापति

106– (क) सभापति समिति के मामलों तथा कार्य के नियंत्रण, पर्यवेक्षण तथा पथ प्रदर्शन के लिये उत्तरदायी होगा और ऐसे अधिकारों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो अधिनियम, नियमों तथा उपविधियों तथा संचालक मण्डल के संकल्पों द्वारा प्रदत्त या आरोपित किये जायें, उपस्थित रहने पर वह नियमों में अन्यथा की गयी व्यवस्था के आधीन रहते हुए, सामान्य निकाय तथा संचालक मण्डल के संकल्पों द्वारा प्रदत्त आरोपित किये जायें, उपस्थित रहने पर वह नियमों में अन्यथा की गयी व्यवस्था के आधीन रहते हुए, सामान्य निकाय तथा संचालक मण्डल की बैठक का सभापतित्व करेगा और आवश्यक परिस्थितियों (संकट काल में) निबन्धक की पूर्व अनुमति से संचालक मण्डल के सारे अधिकारों का प्रयोग करेगा इस बात का निर्णय सभापति स्वयं और जैसा नियमों में अन्यथा उल्लिखित हो, निर्णय करेगा कि क्या ऐसी आवश्यक परिस्थिति (संकट काल) आ गयी है। वह इस बात का ध्यान रखेगा कि समिति का कारोबार दृढ़ रूप से और उपविधियों के अनुकूल चल रहा है।

(ख) सचिव के साथ या अलग से समिति के सभी चेक, हुण्डी दस्तावेज इत्यादि पर हस्ताक्षर करना।

107– (क) उप–सभापति, नियमों में अन्यथा की गयी व्यवस्था के आधीन रहते हुए सभापति द्वारा प्रदत्त लिखित ऐसे अधिकारों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा। सभापति की अनुपस्थिति में वह सामान्य निकाय तथा संचालक मण्डल की बैठक का सभापतित्व करेगा।

सभापति की मृत्यु, पद त्याग या हटाये जाने के कारण अथवा अन्य प्रकार से उसका पद रिक्त होने की दशा में, उपसभापति उस दिनांक तक सभापति के कर्तव्यों का पालन करेगा जब तक कि नया सभापति निर्वाचित, नाम–निर्दिष्ट या नियुक्त न हो जाये।

सचिव

108– समिति का एक सचिव होगा जो अधिनियम की धारा 120, 121, 122 व 122 (क) के आधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए समिति द्वारा निबन्धक की पूर्व अनुमति से नियुक्त किया जायेगा और हटाया जा सकेगा। सचिव की उपलब्धियों और उसकी सेवा में अन्य शर्तें वे होंगी जो निबन्धक समय–समय पर निर्दिष्ट करेगा। सचिव की नियुक्ति होने तक संचालक मण्डल उसके स्थान पर स्थानापन्न (आफिशिएटिंग) सचिव के रूप में नियुक्ति कर सकता है, जो छः माह तक नियम 125 और 126 के आधीन सचिव की नियुक्ति हो जाने तक, इनमें से जो पहले हो, पद धारण करेगा, उसे मत देने का अधिकार न होगा।

109– सचिव समिति का कार्यपालक अधिकारी होगा और सभापति व संचालक मण्डल के ऐसे नियन्त्रण और पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुए जिनकी व्यवस्था नियमों या उपविधियों में की गयी है वह–

(क) समिति के कार्य के सम्यक प्रबन्ध तथा उसके कुशल प्रशासन के प्रति उत्तरदायी होगा।

(ख) समिति के प्राधिकृत और सामान्य कार्य करेगा।

(ग) संचालक मण्डल द्वारा लगाये गये उपबन्धों के अधीन समिति के लेखों (एकाउण्ट्स) का परिचालन (आपरेट) करेगा। उसकी रोकड़ बाकी का प्रबन्ध करेगा तथा उसे अपनी अभिरक्षा में रखेगा।

(घ) समिति की ओर से और उनके लिये सभी लेखों पर हस्ताक्षर करेगा और उन्हें प्रमाणित करेगा।

(ड़) समिति की विभिन्न बहियों (रजिस्टरों) और अभिलेखों को उचित रूप से रखने और अधिनियम, नियमों तथा उपविधियों और निबन्धक या राज्य सरकार के अनुदेशों के अनुसार नियतकालीन विवरणपत्रों और विवरणियों को शुद्ध रूप से तैयार करने और ठीक समय पर उन्हें प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी होगा।

(च) सामान्य निकाय तथा संचालक मण्डल की बैठकें बुलायेगा और ऐसी बैठकों के ठीक अभिलेख रखेगा।

(छ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन और ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करेगा जो नियमों या उपविधियों के अधीन उस पर आरोपित या उसे प्रदत्त किये जायें।

(ज) प्रतिवर्ष वर्ष समाप्त हो जाने पर जितना शीघ्र सम्भव हो निम्नलिखित तैयार करेगाः–

(1) 31 मार्च तक की वर्ष भर की आय और व्यय का नक्शा,

(2) 31 मार्च को समिति के देना और पावना का नक्शा,

(3) निबन्धक तथा संचालक मण्डल द्वारा मांगे गये अन्य नक्शे।

(झ) वर्ष के अन्त में पूंजी और जिम्मेदारी का लेखा आडिटर सही के साथ प्रकाशित करना।

(ञ) समिति की ओर से ऐसी हुण्डी, चेक और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना जो संचालक मण्डल द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो।

(ट) अधिनियम की धारा 115 के अनुसार इन्दराजातों की नकलों पर सही करना।

(ठ) समिति की ओर से पत्र व्यवहार करना, समिति के सब कागजात व हिसाबात के सुरक्षित रखने का स्वयं जिम्मेदार होगा।

(ड) संचालक मण्डल की स्वीकृति से समिति में उत्पादन कराने का प्रबन्ध करना, उत्पादन के काम आने वाले सामानों की पूर्ति का प्रबन्ध करना, निश्चित की हुयी सीमाओं के अन्तर्गत सायर खर्च करना, समिति में काम करने वालों को मजदूरी या वेतन का भुगतान करना, तैयार माल की संचालक मण्डल द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार बिक्री का प्रबन्ध करना।

(ढ) निश्चित तिथि पर समिति की अमानत और ऋणों का भुगतान या वसूली का प्रबन्ध करना तथा समिति द्वारा दिये गये रूपयों के लेन–देन पर निगरानी रखना।

(ण) संचालक मण्डल की विशेष लिखित अनुमति से अपना कोई अधिकार या कर्तव्य लिखित आज्ञा द्वारा अपने सहायक को सौंपना।

110– अधिनियम की धारा 120, 121 व 122, 122 (क) के अधीन लगाये गये विनियमों के उपबन्धों तथा नियम 128 के अधीन रहते हुए सचिव की सहायता के लिये यदि आवश्यक हो, समिति का संचालक मण्डल एक या अधिक व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकता है और उसे या उन्हें सचिव के ऐसे अधिकार तथा कर्तव्य सौंप सकता है जो समिति उचित समझे। ऐसे व्यक्ति सवि के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन काम करेंगे।

बैठक की कार्यवाहियों की कार्यवृत्तियां

111– सभी बैठकों की कार्यवाहियों की कार्यवृत्तियां उस प्रयोजन के लिये रखी गयी पुस्तिका में अभिलिखित की जायेंगी और कार्यवृत्तियों पर बैठक का सभापतित्व करने वाले ओर समिति के सचिव द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।

भत्ते तथा अन्य सुविधाएं

112– (क) समिति के सभापति/उपसभापति तथा संचालक मण्डल के सदस्यों को नियमों 384, 385, 386, 388 व 389 के उपबन्धों के अधीन सामान्य निकाय द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार

यातायात भत्तों का भुगतान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य सुविधाएं सामान्य निकाय द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार ही उपलब्ध होंगी।

(ख) समिति के सभापति, उपसभापति या संचालक मण्डल के किसी सदस्य को कोई मानदेय नियम 386 के अनुसार ही दिया जा सकता है।

ऋणों पर निर्बन्धन

113– समिति अपने सदस्यों को उत्पादन के लिये कच्चा माल संचालक मण्डल द्वारा निश्चित सीमा तक ही उधार देगी। किसी भी सदस्य को उधार माल तब तक नहीं देगी जब तक सदस्य समिति के पक्ष में अनुबन्ध निष्पादित न कर दे जिसमें यह व्यवस्था हो कि उधार दिया गया माल निर्धारित तिथि तक माल बनाकर वापस किये जाने का, उस माल को बाजार में न बेचने का तथा उस माल को किसी और प्रयोग न न करने के लिये सक्षम होगा।

114– (क) निबन्धक की विशेष स्वीकृति के बिना किसी सदस्य को न तो ऋण देगा और न वित्तीय अनुग्रह देगा।

(ख) समिति किसी अन्य सहकारी समिति को कोई माल उधार बिना निबन्धक की आज्ञा के न देगी और बिना आज्ञा किसी समिति से उधार लेगी।

अंशदायी भविष्य निधि

115 (क) यदि समिति की सेवा में पांच या अधिक कर्मचारी, पूर्णकालिक मौखिक नियुक्ति में हों, तो समिति धारा 63 की उपधारा (1) में अभिदिष्ट अंशदायी भविष्य निधि की स्थापना करेगा।

(ख) उक्त अंशदायी भविष्य निधि अधिनियम की धारा 63 और नियम 201 से 204 के अधीन रहते हुए निम्न शर्तों द्वारा नियंत्रित होगीः–

(1) कर्मचारी ने समिति में कम से कम दो वर्ष तक संतोषजनक कार्य कर लिया हो।

(2) कर्मचारी की, निबन्धक की स्वीकृति से, पूर्णकालिक मौलिक नियुक्ति कर दी गयी हो।

(3) कर्मचारी लिखित रूप में अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान करने के लिये प्रार्थनापत्र देगा और संचालक मण्डल उसे स्वीकृत कर लें।

समिति की सम्पत्ति और निधियां

116– अधिनियम में विशेष रूप से की गयी अन्यथा व्यवस्था के अधीन रहते हुए शुद्ध लाभ के अतिरिक्त समिति की निधियों के किसी भाग का, सदस्यों में बोनस या लाभांश के रूप में या अन्यथा वितरण नहीं किया जायेगा। परन्तु किसी सदस्य को उसकी ऐसी सेवाओं के लिये जो समिति के लिये की हों उपविधियों में दिये गये मान के अनुसार पारिश्रमिक दिया जा सकता है।

117– वर्ष के कुल लाभ से निम्नलिखित मदें घटाने के पश्चात वर्ष का शुद्ध लाभ निकाला जायेगा–

(1) दिया गया ब्याज।

(2) किया गया प्रबन्ध खर्च।

(3) अशोध्य ऋणों के लिये प्राविधान।

(4) माल और भवन पर अवमूल्यन।

(5) क्षति की अन्य मदें।

118– बांटने योग्य लाभ निकालने के लिये समिति को शुद्ध लाभ में से निम्नलिखित छोड़ दिया जायेगाः–

(1) सभी ब्याज जो अतिदेय (ओवरड्यू) हो।

(2) सभी अर्जित ब्याज, किन्तु जो ऐसे सदस्यों से जिनसे ब्याज अतिदेय हो, देय न हो।

(3) ऐसी उधार बिक्री पर जिसकी वसूली अतिदेय हो, अर्जित कमीशन या लाभ सीमा।

119– शुद्ध लाभ का कोई भाग वार्षिक सामान्य बैठक के अनुमोदन के बिना विनियोजित नहीं किया जायेगा।

120– शुद्ध लाभ का न्यूनतम 25 प्रतिशत रक्षित (बचत) पूंजी में डाला जायेगा और दो प्रतिशत सहकारी शिक्षा निधि में दिया जायेगा यदि किसी वर्ष में अंशदान की जाने वाली धनराशि 2500) रूपये से अधिक हो

जाये तो यह समिति पर निर्भर करेगा कि वह 2500) रूपये से अधिक धनराशि का अंशदान करे या न करे।

121– शेष वितरणीय लाभ, नियमों के अधीन निम्नलिखित सभी या किसी प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाया जा सकता है।–

(1) सदस्यों को उसकी दत्त अंश पूंजी पर नौ प्रतिशत तक लाभांश का भुगतान।

(2) अशोध्य ऋण निधि, भवन निधि, मूल्य अस्थिरता निधि में, तथा राष्ट्रीय रक्षानिधि सृजित करना अनिवार्य होगा।

(3) चेरिटेबिल पर्पज पूर्त प्रयोजन के लिये पांच प्रतिशत तक दान।

(4) सदस्यों को व्यापार की जो उन्होने समिति के साथ किया हो, राशि या मात्रा पर शुद्ध लाभ की आधी धनराशि तक बोनस दे सकती है।

(5) समिति के कर्मचारियों का भुगतान वितरणीय लाभ का 15 प्रतिशत तक।

(6) आगामी सहकारी वर्ष के लाभ में ले जाना।

122– जो लाभांश न किया जायेगा उस पर समिति कोई ब्याज न देगी।

123– जिस सदस्य पर अंश की कोई किश्त बाकी होगी वह अपने हिस्से के चुकता धन पर लाभांश का अधिकारी न होगा। जो हिस्से पूरे साल तक न रहे हों ओर छः महीने के हों उन पर छः महीने का लाभांश दिया जायेगा।

निधियों का विनियोजन

124– समिति अपनी निधियों को अधिनियम 59 तथा नियम 173 में दी गयी एक या अधिक प्रकार से विनियोजित या जमा कर सकती है। विनियोजन अधिनियम तथा नियमों की उपधाराओं के अधीन ही किया जा सकता है।

लेखा पुस्तिका, रजिस्टर, विवरण–पत्र इत्यादि

125– समिति का पक्का हिसाब–किताब इस ढंग से रखने का प्रबन्ध करेगा, जिसे वह समिति के वास्तविक आर्थिक लेखा विवरण प्रदर्शित करने के लिये समय–समय पर उचित समझे ओर जो नियम 364 की उपधारा (1) के अधीन हिसाब–किताब के रजिस्टरों में ऐसे खर्च से रखा जायेगा, जैसा निबन्धक आदेश दे।

126– नियम 364 की उपधारा (2) के प्रयोजन के अतिरिक्त समिति किसी अभिलेख या पुस्तकों की छंटनी नहीं करेगी।

127– समिति प्रत्येक सहकारी वर्ष की समाप्ति के एक माह के भीतर निम्नलिखित विवरण तैयार करेगी और निबन्धक को ऐसे प्रपत्र उतनी संख्या में उस दिनांक तक जो निबन्धक द्वारा निश्चित किया जाये प्रस्तुत करेगी:–

(1) एक राजस्व–विवरण–प्रपत्र, जिसमें वर्ष के दौरान समिति की प्राप्तियों और सवितरण दिखाये जायेंगे।

(2) रोकड़–पत्र, जिसमें परिसम्पत्तियों और दायित्व, जो 31 मार्च को हों, दिखाये जायेंगे।

(3) लाभ–हानि विवरण

(4) पिछले वर्ष के शुद्ध लाभ, निस्तारण के सम्बन्ध में विवरण पत्र, और

(5) ऐसे अन्य विवरण–पत्र या विवरणियां जो निबन्धक द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट की जायें।

लेखा–परीक्षण

128–समिति के लेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक सहकारी वर्ष में कम से कम एक बार, अधिनियम की धारा 64 के नियमों के अनुसार निबन्धक अथवा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा की जायेगी।

रक्षित निधि

129–(क) समिति की रक्षित निधि को निबन्धक की स्वीकृति से नियम 173 में उल्लिखित किसी एक या अधिक प्रकार से विनियोजित किया जायेगा।

(ख) नियम 170 के अधीन, रक्षित निधि अवितरणीय है, और किसी सदस्य का उसके किसी विशेष हिस्से पर कोई दावा न होगा।

विवादों का निपटारा

130–तत्समय प्रचलित किसी निधि में किसी बात के होते हुए भी, समिति के संगठन प्रबन्ध अथवा कोई कार्य के सम्बन्ध में समिति के वेतनभोगी कर्मचारियों के विरूद्ध की गयी अनुशासनिक कार्यवाही से सम्बद्ध विवाद से भिन्न कोई विवाद :

(क) सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों और मृत सदस्यों के माध्यम से दावा करने वाले व्यक्तियों के बीच अथवा,

(ख) किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य अथवा मृत सदस्य के माध्यम से दावा करने वाले किसी व्यक्ति, और समिति, उसके संचालक मण्डल समिति के अधिकारी अभिकर्ता या कर्मचारी जिनके अन्तर्गत भूतपूर्व अधिकारी अभिकर्ता या कर्मचारी हैं, के बीच अथवा

(ग) समिति और किसी अन्य सहकारी समिति व समितियों के बीच उत्पन्न हो, वह अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही के लिये निबन्धक को अभिदिष्ट किया जायेगा और किसी ऐसे विवाद के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में कोई वाद अथवा अन्य कार्यवाही ग्रहण करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त न होगा।

उपविधियों में संशोधन

131–उक्त प्रयोजन के लिये बुलायी गयी किसी विशेष सामान्य बैठक में उपस्थिति कम से कम दो तिहाई सदस्यों के मत से पारित संकल्प द्वारा किसी उपविधि में संशोधन किया जा सकता है, अर्थात उसमें परिवर्तन या विखण्डन किया जा सकता है अथवा नई उपविधि बनाई जा सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक द्वारा पहले से अनुमोदित प्रतिमान उपविधियों या संशोधन अथवा ऐसे संशोधन, जिन्हें करने के लिये निबन्धक अधिनियम की धारा 14 के उपधारा (1) के अधीन अपेक्षा करे, केवल साधारण बहुमत द्वारा अंगीकृत किये जा सकते हैं।

132–उपविधियों के संशोधन पर विचार करने के निमित विशेष बैठक बुलाने के लिये सदस्यों को तीन दिन की नोटिस दी जायेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि बैठक अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन निबन्धक से प्राप्त किसी आदेश के अनुसरण में बुनाई जाये तो पन्द्रह दिन की नोटिस पर्याप्त होगी।

133–ऐसी बैठक के लिये जिनमें किसी उपविधि के संशोधन पर विचार किया जाये, समिति के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम एक–तिहाई की गणपूर्ति अपेक्षित होगी।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी बैठक में उपरोक्त अपेक्षित गणपूर्ति न हो सके तो निबन्धक समिति को यह निर्देश दे सकता है कि वह दूसरी बैठक बुलाये, जिसमें अपेक्षित गणपूर्ति कम करके 1/5 कर दी जायेगी और सदस्यों को इस तथ्य की लिखित सूचना दे। प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक द्वारा पहले से अनुमोदित प्रतिमान उपविधियों या संशोधन के अंगीकार किये जाने कि दशा में अथवा निबन्धक द्वारा अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन महानिर्देश दिये जाने पर कि उसे समिति द्वारा अंगीकार की जाये तो अपेक्षित गणपूर्ति को उस दशा में जब बैठक 1/5 से कम की गई गणपूर्ति के अभाव में न हो, 1/7 तक और कम करने की निबन्धक द्वारा अनुज्ञा दी जा सकती है। वह तथ्य कि बैठक 1/7 की और कम की गयी गणपूर्ति से होगी, ऐसी बैठक की कार्यसूची को नोटिस में उल्लिखित किया जायेगा।

निर्वाचन सम्बन्धी नियम

भाग–1

निबन्धन के पश्चात बैठक और निर्वाचन

134–समिति के निबन्धन/इन उपविधियों के निबन्धन के दिनांक से 90 दिन के भीतर या ऐसी बढ़ाई गयी अवधि के भीतर जिसके लिये निबन्धक द्वारा लिखित रूप से अनुज्ञा दी जाये।

यदि समिति का निबन्धन हुआ हो तो समिति अपनी प्रथम सामान्य बैठक करेगी, जिसमें केवल वे व्यक्ति भाग लेने के हकदार होंगे जिन्होंने समिति के निबन्धन के प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर किया हो, या

यदि समिति का पहले निबन्धन हो तो अधिनियम की धारा 131 की उपधारा (7) के अधीन संचालक मण्डल संगठित करने के लिये समिति सामान्य निकाय की एक बैठक करेगी जिसमें केवल वे सदस्य ही भाग लेने के हकदार होंगे जो इन उपविधियों के निबन्धन के पूर्व सदस्य थे।

135–इस बैठक के बुलाने के लिये कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना जिसमें बैठक का दिनांक, समय, स्थान और कार्यसूची (एजेण्डा) उल्लिखित होगी, उस व्यक्ति द्वारा दी जायेगी जिसने सदस्य सचिव के रूप में निबन्धन के लिये प्रार्थना पत्र पर आवेदन किया हो।

136–यदि सदस्य–सचिव बैठक न बुलायेगा अथवा बुलाये जाने के लिये उपलब्ध न हो तो वह निबन्धक या उसके सामान्य या विशेष आदेश से प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बुलाई जायेगी।

137–उक्त सामान्य निकाय की बैठक में, निम्नलिखित क्रम से कार्य सम्पादित किये जायेंगे:–

(1) बैठक अध्यक्षता करने के लिये सभापति का निर्वाचन (निर्वाचन हाथ उठाकर होगा),

(2) समिति के संगठन के दिनांक से बैठक के दिनांक तक लेखा–विवरण पत्र पर विचार या, पिछले सहकारी वर्ष/बैलेन्सशीट और वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार जिनका लेखा परीक्षा समाप्त हो गया है और नियम 92 के अधीन पिछले सहकारी वर्ष/वर्षों का लेखा प्रमाण पत्र और लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पर विचार तथा गत वर्ष/वर्षों के शुद्ध लाभ के वितरण पर विचार।

(3) प्रथम वार्षिक सामान्य बैठक/आगामी वर्ष के लिये समिति की दायित्व की सीमा निर्धारित करना।

(4) प्रथम वार्षिक सामान्य बैठक तक के लिये/आगामी वर्ष के बजट पर विचार।

(5) नये सदस्य बनाने पर विचार।

(6) कोई अन्य विषय जो समिति की उपविधियों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक हो।

(7) नियमों और उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार अस्थायी संचालक मण्डल/संचालक मण्डल के सदस्यों का चुनाव, और

(8) अस्थायी संचालक मण्डल/संचालक मण्डल के लिये चुने गये सदस्यों में से सभापति तथा उपसभापति का चुनाव।

138–उपविधि संख्या 137 के खण्ड (7) या (8) के अधीन निर्वाचन के प्रयोजनों के लिये (नियम 429 से 432) उपविधि संख्या 153 व 154 में निर्धारित प्रक्रिया, यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगी।

निर्वाचन सामान्य नियम

भाग–2

139– संचालक मण्डल के सदस्यों का निर्वाचन कार्यसूची के अन्तिम मद के रूप में समिति की वार्षिक सामान्य बैठक में होगा।

140– कोई भी व्यक्ति (नियम मात्र या सम्बद्ध सदस्य को छोड़कर) जिसे वार्षिक सामान्य बैठक में निर्वाचन किये जाने हों उस वर्ष 15 अक्टूबर के पशचात वार्षिक सामान्य बैठक किये जाने तक समिति का सदस्य नहीं बनाया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि निबन्धक ने नियम 90 के अधीन नियत अवधि के पश्चात वार्षिक सामान्य बैठक करने की अनुमति दी हो तो ऐसी वार्षिक सामान्य बैठक के लिये निश्चित दिनांक के 60 दिन पूर्व तक सदस्य बनाये जा सकेंगे।

141– वार्षिक सामान्य बैठक का सभापतित्व सभापति या उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति करेगा। सभापति तथा उपसभापति दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य सामान्य निकाय के किसी अन्य सदस्य को बैठक का सभापतित्व करने के लिये चुन सकते हैं। परन्तु कोई व्यक्ति ऐसी सभा का सभापतित्व नहीं करेगा यदि वह स्वयं किसी पद के लिये उम्मीदवार हो।

142– गणपूर्ति न होने या उपविधि में व्यवस्थित किसी अन्य कारण से स्थगित वार्षिक सामान्य बैठक, मूल बैठक की नोटिस की कार्यसूची में दिये गये समय तथा स्थान पर सोलवें दिन (जिसकी गणना स्थगन के दिनांक को सम्मिलित की जायेगी) को होगी और कार्यसूची में केवल उन्हीं मदों को लिया जायेगा जो मूल बैठक में होने से शेष रह गये हों।

143– यथास्थित, उपविधि 144 के अधीन तैयार की गयी मतदाता सूची और वैध नाम–निर्देशन–पत्रों की अन्तिम सूची स्थगित बैठक में भी निर्वाचन के लिये लागू होगी।

144–(क) जिला मजिस्ट्रेट..... निबन्धक के अनुरोध पर, निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिये किसी सरकार सेवक को (ऐसे विभाग के अधिकारी से भिन्न अधिकारी जो समिति के पर्यवेक्षण और प्रशासन से सम्बद्ध हो) नियुक्त करेगा। निर्वाचन अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह अधिनियम नियमावली और इन उपविधियों में निर्धारित रीति से उचित रूप में निर्वाचन करायें और उनका संचालन करें वह उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा जो निर्वाचन कराने के लिये आवश्यक हों।

(ख) संचालक मण्डल तथा समिति का प्रत्येक अधिकारी, निर्वाचन कराने में निर्वाचन अधिकारी की पूरी सहायता देने के लिये बाध्य होंगे और ऐसे सभी अभिलेख उपलब्ध करायेंगे जिनकी निर्वाचन अधिकारी इस प्रयोजन के लिये अपेक्षा करें।

145–(क) नियमावली के अधीन निर्वाचन के प्रयोजन के लिये निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन के संचालन में अपनी सहायता के लिये किसी सरकारी सेवक को मतदान अधिकारी नियुक्त कर सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा व्यक्ति उस विभाग का नहीं होगा जो समिति के पर्यवेक्षण और प्रशासन से संबंधित हो।

(ख) समिति का संचालक मण्डल उसका सचिव और प्रत्येक अधिकारी/निर्वाचन अधिकारी/मतदान अधिकारी को अपने कर्तव्यों का पालन करने में ऐसी सहायता और ऐसी सूचनाएं देगा जिसकी उसे इस प्रयोजन के लिये आवश्यकता हो।

(ग) समिति का सचिव उपविधि 140 (नियम 410) में उल्लिखित समिति का सदस्य बनाये जाने के दिनांक के समाप्ति के पश्चात तुरन्त निर्वाचन अधिकारी को तीन प्रतियों, एक मतदाता सूची प्रस्तुत करेगा जिस पर उसकी मुहर और हस्ताक्षर होंगे।

(घ) निर्वाचन अधिकारी :

(1) सूची को समिति के सूचना पट पर और ऐसे किसी अन्य स्थान या स्थानों पर, जहां–जहां उचित समझे, प्रदर्शित करेगा उसके सम्बन्ध में आपत्तियां आमंत्रित करेगा ऐसी आपत्तियों का निस्तारण करेगा और 31 अक्टूबर तक अन्तिम मतदाता सूची तैयार करेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, उस दिनांक को बढ़ाये गये दिनांक तक तैयार कर ली जायेंगी।

(2) खण्ड (1) में निर्दिष्ट कार्यक्रम को और वह रीति निश्चित करेगा जो नियमावली द्वारा उसे व्यदिष्ट किये जायें या जो उसके कर्तव्यों के पालन के लिये अनुसांगिक या आवश्यक हों।

146– समिति अपनी वार्षिक सामान्य बैठक करने के लिये अपने सामान्य निकाय के सदस्यों की बैठक के दिनांक, समय और स्थान के बारे में तीस दिन से अनधिक दिन की नोटिस देगी।

प्रतिबन्ध यह है कि नोटिस की अवधि 15 दिन से कम न होगी और बैठक का स्थान समिति का कार्यालय या कोई ऐसा सार्वजनिक स्थान होगा जो यथा सम्भव समिति के कार्यालय के निकट हो और संचालक मण्डल द्वारा निश्चित किया गया हो।

बैठक की कार्यसूची के साथ उपविधि 147 (क) में निर्दिष्ट निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम भी हो और निर्वाचन अधिकारी का नाम और पता भी कार्यसूची के साथ सूचित किया जायेगा।

147–(क) (1) निर्वाचन अधिकारी :

(I) समिति की मतदाता सूची की, उसे अन्तिम रूप दिये जाने के पश्चात अपनी मुहर और हस्ताक्षर शीघ्र समिति के सूचना पद पर प्रदर्शित करायेगा। उक्त सूची किसी भी सदस्य को निरीक्षण के लिये समिति के कार्यालय में निःशुल्क उपलब्ध रहेगी। सूची की एक प्रतिलिपि जिला स्तरीय ग्रामोद्योग अधिकारी या निबन्धक द्वारा उस प्रयोजन के लिये प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के कार्यालय में दाखिल की जायेगी–

(I) निम्नलिखित के दिनांक निश्चित करेगा।

(क) नाम–निर्देशन दाखिल करना।

(ख) नाम–निर्देशन पत्रों की परिनिरिक्षा।

(ग) नाम–निर्देशन की सूची का प्रकाशन।

(घ) नाम–निर्देशन के सम्बन्ध में आपत्तियां प्रस्तुत करना।

(ड़) नाम–निर्देशन के सम्बन्ध में आपत्तियों का निस्तारण।

(च) विधि–मान्य नाम–निर्देशनों की सूची का प्रदर्शन और विज्ञापन।

(छ) नाम–निर्देश वापस लेना, और

(ज) नाम–निर्देश की वापसी के पश्चात यदि कोई हो, सूची को अन्तिम रूप देना।

(2) उपर्युक्त उपविधि (I), (II) के खण्ड (ख), (ड़), (छ) में निर्दिष्ट सूची निर्वाचन अधिकारी की मुहर हस्ताक्षर से समिति के सूचना पट पर लगायी जायेगी और उसकी दो प्रमाणित प्रतिलिपियां जिला स्तरीय ग्रामोद्योग अधिकारी को या इस प्रयोजन के लिये निबन्धक के द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को भेजी जायेगी, जहां उसकी एक प्रतिलिपि निरीक्षण के लिये उपलब्ध रहेगी और दूसरी प्रति अभिलेख में रखी जायेगी।

(3) नाम निर्दिष्ट क प्रस्ताव जो प्रपत्र 'ट' में होगा, निर्वाचन अधिकारी को सम्बोधित किया जायेगा। नाम निर्देशनों से संबंधित आपत्तियां भी निर्वाचन अधिकारी को सम्बोधित की जायेगी और उसके द्वारा उनका निस्तारण किया जायेगा। नाम–निर्देशन वापस लेने का, प्रस्ताव भी यदि कोई हो, आवश्यक कार्यवाही के लिये निर्वाचन अधिकारी को सम्बोधित किया जायेगा।

(ख) कोई उम्मीदवार, संचालक मण्डल के एक से अधिक पद के लिये साथ–साथ निर्वाचन लड़ने के लिये अर्ह न होगा। यदि एक से अधिक पद के लिये नाम–निर्देशन–पत्र वैध पाये जाये तो उसे केवल पद के लिये विकल्प देना होगा तथा अन्य के लिये अपना नाम–निर्देशन पत्र वापस लेना होगा। ऐसी वापसी के लिये निश्चित दिनांक के पूर्व यदि वह अपने विकल्प का प्रयोग करने में चूक करे तो उसके समस्त नाम निर्देशन पत्र अवैध हो जायेंगे।

148– उपविधि 146 के अधीन अभिदिष्ट वार्षिक सामान्य बैठक की कार्यवाहियां, उपविधि 141 के उपबन्धों के अनुसरण में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति के सभापतित्व के अधीन आरम्भ की जायेगी। बैठक का सभापति, वार्षिक सामान्य बैठक की कार्यसूची की (निर्वाचन से भिन्न) समस्त मदों के निस्तारण के पश्चात कार्यवाहियों पर हस्ताक्षर करेगा और घोषणा करेगा कि निर्वाचनों का संचालन, उपविधि 144 (क) के अधीन नियुक्त निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जाये। तत्पश्चात निर्वाचन के संचालन के लिये पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करेगा।

149–(1) (क) यह किसी पद के लिये वैध–नाम–निर्देशनों की संख्या पूर्ति की जाने वाली रिक्तियों की संख्या से अधिक न हो तो ऐसे उम्मीदवार जिनके वैध–नाम–निर्देशन प्राप्त हुए हों, ऐसी रिक्तियों की पूर्ति के लिये यथा विधि निर्वाचित किये गये समझे जायेंगे और पीठासीन अधिकारी, निर्वाचन बैठक आरम्भ होने पर तदनुसार घोषणा कर सकता है।

(ख) यदि किसी एक या एक से अधिक स्थानों के लिये कोई भी वैध नाम–निर्देशन न प्राप्त हो तो इस तथ्य की घोषणा भी निर्वाचन बैठक आरम्भ होने पर की जायेगी तथा ऐसी रिक्तियों की पूर्ति यथास्थिति, नियम 450 तथा 451 आमेलन द्वारा की जायेगी।

(2) यदि किसी पद के लिये वैध नाम–निर्देशनों की संख्या निर्वाचित की जाने वाली संख्या से अधिक हो जाये तो पीठासीन अधिकारी मतदान की व्यवस्था करेगा।

(3) (क) मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होगा। मतदाता उस उम्मीदवार के नाम के सामने जिसे वह मत देना चाहे क्रास चिन्ह लगायेगा और तब शलाका (मत) पत्र गुप्त रूप से (मत) पेटी में रखेगा। समिति अपनी निधियों से अपेक्षित संख्या में यथा प्रकार की शलाका (मत) पेटियों की व्यवस्था करेगी।

(ख) उपरोक्त खण्ड (क) में किसी बात के होते हुए भी यदि निरक्षर मतदाता अपनी रूचि से उम्मीदवार के पक्ष में अपना मत व्यक्त करने के सम्बन्ध में पीठासीन अधिकारी की सहायता चाहता हो तो पीठासीन अधिकारी उस प्रकार मतदाता की सहायता करेगा कि मतदाता की रूचि का अन्य व्यक्तियों को ज्ञान न लग सके।

150– (1) (अ) कोई शलाका (मत) पत्र अस्वीकार कर दिया जायेगा यदि–

(ब) उस पर समिति की मुहर या मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर न हों।

(स) उस पर मतदान इंगित करने का चिन्ह न हो, और

(द) उस पर भरे जाने वाले स्थानों संख्या से अधिक चिन्ह हों।

(2) यदि किसी शलाका (मतपत्र) पर उम्मीदवारों के लिये चिन्ह इस प्रकार हो जिससे यह स्पष्ट न हो कि किस उम्मीदवार या किन उम्मीदवारों को मत दिया गया है तो ऐसे उम्मीदवार या उम्मीदवारों के सम्बन्ध में अस्वीकार कर दिया जायेगा।

(ख) पीठासीन अधिकारी उतने मतदान अधिकारी तथा गणना अधिकारी नियुक्त कर सकता है जितने उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक हो। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि समिति का कोई कर्मचारी या मतदाता, मतदान अधिकारी या गणना अधिकारी नियुक्ति नहीं किया गया जायेगा।

151– (क) (1) प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मदों की संख्या और निर्वाचन फल, पीठासीन अधिकारी द्वारा गणना समाप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र घोषित किया जायेगा, गणना के समय निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार उपस्थित रह सकते हैं।

(2) निर्वाचन फल समिति की कार्यवाही रजिस्टर में भी अभिलिखित किया जायेगा और उसे पीठासीन अधिकारी प्रमाणित करेगा।

(3) समिति का सचिव सूचना पट पर उसी दिन एक सूची लटकायेगा जिसमें निर्वाचित घोषित उम्मीदवारों के नाम होंगे। सूची पर निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे।

(ख) निर्वाचन फल में बराबर–बराबर मत होने की दशा में इस मामले का निर्णय पर्ची डाल कर दिया जायेगा।

152– निर्वाचन सम्बन्धी प्रयुक्त शलाका पत्र तथा अन्य अभिलेख (कार्यवाहियों की पुस्तिका को छोड़कर) किसी लिफाफे या पात्र में रखे जायेंगे और पीठासीन अधिकारी उन्हें मुहरबन्द करेगा यदि उम्मीदवार चाहे तो वह भी उस पर अपनी मुहर लगा सकता है निर्वाचन अधिकारी इस प्रकार मुहरबन्द लिफाफा या पत्र समिति को सौंप देगा जो उसकी प्राप्ति की अभिस्वीकृति करेगा और छः माह या जब निबन्धक

द्वारा अपेक्षित हों तो उससे अधिक समय के लिये उसकी सुरक्षित अभिरक्षा के निमित्त उत्तरदायी होगा।

सभापति तथा उपसभापति का निर्वाचन

153– (क) संचालक मण्डल के सदस्यों के निर्वाचन फल की घोषणा के पश्चात यथाशीघ्र सचिव निर्वाचन अधिकारी के परामर्श से समिति के सभापति, उपसभापति और ऐसे अन्य पदाधिकारियों के निर्वाचन के लिये जैसा समिति की उपविधियों में व्यवस्थित हो, संचालक मण्डल की बैठक बुलायेगा। ऐसी बैठक की अध्यक्षता भी निर्वाचन अधिकारी करेगा।

(ख) सभापति और उपसभापति का निर्वाचन संचालक मण्डल के सदस्यों में से किया जायेगा।

(ग) संचालक मण्डल के निर्वाचित सदस्य समिति का किसी दूसरी सहकारी के जिसकी समिति सदस्य हों–सामान्य निकाय में प्रतिनिधित्व करने के लिये सामान्य के अर्ह सदस्यों में से प्रतिनिधियों को निर्वाचन करेंगे।

154– (1) उपविधि 153 के आधीन निर्वाचन के लिये नाम–निर्देशक–पत्र, पीठासीन अधिकारी को प्रपत्र 'ट' बैठक में दिये जायेंगे। पीठासीन अधिकारी ऐसी सरसरी तौर पर जांच करने के पश्चात जो वह उचित समझे, आपत्तियों के सम्बन्ध में निर्णय देगा और उम्मीदवार या उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करेगा। कोई भी उम्मीदवार एक से अधिक पद लिये नाम–निर्देशन–पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।

(2) यदि किसी पद के लिये केवल एक वैध नाम–निर्देशक हो तो पीठासीन अधिकारी उस उम्मीदवार को जिसका वैध नाम–निर्देशन–पत्र प्राप्त हुआ, उस पद के लिये यथाविधि निर्वाचित घोषित करेगा।

(3) यदि किसी पद के लिये एक से अधिक वैध नाम–निर्देशन हों तो पीठासीन अधिकारी तुरन्त उपविधि 149 (3), 150 (क), 150 (ख), 151 (ख) और 152 के उपबन्धों के अनुसार मतदान की व्यवस्था करेगा।

अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा सभापति या उपसभापति का हटाया जाना

155– नियमों के उपबन्धों के अनुसार ही सभापति या उपसभापति को, अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है।

उपनियमों का अर्थ

156– यदि उपविधियों की किसी धारा के अर्थ के सम्बन्ध में मतभेद हो तो संचालक मण्डल ऐसे मामले को निबन्धक के पास भेजेगा और इस विषय में उसका निर्णय अन्तिम होगा।

विविध

157– समिति के निबन्धित मुख्यालय के पते में किसी परिवर्तन का नोटिस समिति ऐसे परिवर्तन के तीस दिन के भीतर निबन्धक को भेजेगी तथा अपने सदस्यों को सूचित करेगी।

158– समिति निबन्धक के पूर्व अनुमोदन से, ऐसी परिसम्पत्तियों को बट्टे–खात में डाल सकती है जो अशोध्य हो और वसूल न की जा सकती हों।

159– समिति की सामान्य इकाई या संचालक मण्डल द्वारा पारित कोई भी संकल्प, यथास्थिति, ऐसी सामान्य निकाय या संचालक मण्डल द्वारा, उक्त संकल्प–पारित होने के दिनांक से छः महीने के भीतर, निबन्धक की पूर्व स्वीकृति के बिना विखण्डित, परिवर्तित या संशोधित नहीं किया जायेगा।

160– समिति अपनी किसी भी भूगृहादि या उसके भाग को जो समिति के कारोबार के लिये हो ऐसे कारोबार या उससे सम्बद्ध कार्यों से भिन्न किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये न तो प्रयुक्त करेगी और न प्रयुक्त करने की अनुमति देगी।

161– समिति निबन्धक की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी सहकारी समिति से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के साथ भागीदारी नहीं करेगी। भागीदारी की शर्तें भी अनुबन्ध निष्पादित करने से पूर्व निबन्धक से

अनुमोदित करानी होगी। निष्पादित भागीदारी अनुबन्ध की एक प्रतिलिपि निबन्धक को प्रस्तुत की जायेगी।

162– समिति अपने उद्देश्यों में या विचारार्थ या विमर्श हेतु ऐसे विषय को सम्मिलित न करेगी, जिससे समिति या उसके सदस्यों के बीच या समिति या सदस्यों के बीच कोई साम्प्रदायिक, धार्मिक या राजनैतिक विवाद उत्पन्न हो जाने की सम्भावना हो।

163– समिति किसी भी कार्यवाही या वाद के, जिसमें वह स्वयं कोई पक्ष न हो और इस प्रकार की कार्यवाहियों और वाद के फलस्वरूप, समिति के हितों पर इनका प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, व्ययों को वहन न करेगी।

संगठनकता के हस्ताक्षर	निबन्धक के कार्यालय के लिये
----------	----------

उपविधियों में संशोधन का अभिवेश

संशोधन उपविधि का अभिदेश	संशोधन के निबन्धन का दिनांक	निबन्धक के हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
1	2	3	4

''भारत के करोड़ों लोगों को काम देने के लिये और उन्हें स्वावलम्बी बनाने के लिये एकमात्र साधन खादी तथा ग्रामोद्योग है''

– गांधी जी

आप भी

उ० प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड में निम्न सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं–

⊗ उदार शर्तों पर ऋण।

⊗ छोटे यन्त्र एवं औजार सस्ती दरों पर।

⊗ उत्पादन एवं प्रबन्ध पर अनुदान।

⊗ खादी बिक्री पर छूट।

⊗ बिक्री कर एवं चुंगी मुक्ति आदि सुविधाएं।

⊗ तकनीकी प्रबन्धकीय व सहकारिता में प्रशिक्षण।

foôk÷k fooj.k d fy;%&

tuink d e[;kokl ks ij fLFkr iclU/kd ¼xkeks|kx½@ftyk xkeks|kx dk;ky;ks ls lEidl djsA

उ0 प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (प्रचार अनुभाग) द्वारा प्रसारित